उन्नति विचार

वर्ष : 12 अंक : 1 जनवरी-मार्च, 2007

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 3
- विकास के लिए संप्रेषण: व्यवहार एवं प्रश्न

आपके लिए
- आई.सी.डी.एस. के बारे में उच्चतम न्यायालय का फैसला 18
- लघु ऋण और संयुक्त बीमा सम्बंधी पाठ्यक्रम 20

अपनी बात
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह 21

गतिविधियां 26

संदर्भ सामग्री 30

अपने बारे में 38

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

सूचना, शिक्षा और संप्रेषण : परिवर्तन की रणनीति

विकास के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम कर्मशील परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी संप्रेषण का महत्व स्वीकार करते हैं, परंतु अधिकांश क्षेत्रों में परिवर्तन की गति बहुत ही धीमी रही है। समय, शक्ति और धन का बड़े पैमाने पर निवेश होने के बावजूद भी ऐसा हुआ है। उसे हाल में अब सूचना, शिक्षा व संप्रेषण (आई.ई.सी.) के रूप में जानते हैं। यदि इसे अलग तरह से देखें तो हम सवाल उठा सकते हैं कि सूचना व शिक्षा यदि संप्रेषण नहीं है तो क्या है? और यदि सूचना व शिक्षा संप्रेषण है, तो संप्रेषण की हमारे लिए क्या जरूरत है? और यदि संप्रेषण कोई और विषय है तो फिर वह अंतर क्या है जिससे इन तीनों की संयुक्त जरूरत पैदा होती है? ये मुद्दे हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि क्यों इन तमाम वर्षों के दौरान इन तीनों के बारे में इतना अधिक संशय पैदा हुआ है और परिवर्तन बहुत कम हुआ है।

इन तीनों मामलों में व्यापत उलझन यह दर्शाती है कि विकास अथवा सामाजिक संप्रेषण का इतना सारा काम सफल होता क्यों नहीं दिखता है अथवा वह काम कितनी गति से और जितने प्रभावी ढंग से होना चाहिए वह क्यों नहीं हुआ है। विकास के क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी संप्रेषण के बारे में बहुत कम समझते हैं, जिससे संप्रेषण की प्रक्रिया का संचालन करना मुश्किल हो जाता है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में यह बात कदाचित अधिक दिखाई देती है।

यह पहलू हाल ही में अत्यंत आवश्यक बन गया है क्योंकि विकास के प्रयत्नों से कर्मशील जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसमें वे यह चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के लक्ष्य हासिल करने के संदर्भ में जब २० वर्ष पहले संप्रेषण व्यवस्था का उपयोग किया जाता था तब हम इसके लिए प्रयत्न करते थे कि शुद्ध पानी की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था में समता पैदा हो, परंतु इन मामलों में मानवाधिकारों का वैसा विचार शामिल नहीं था कि जैसा आज पैदा हुआ है। टेक्नोलॉजी मिशन में आज यह विचार एक प्रेरक बल है। इसी तरह जब एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूकता लाने के लिए और उस पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए, तब सूचना, शिक्षा व संप्रेषण के प्रयास राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए। आज जो पीड़ित हैं, उनके अधिकारों को सम्मान देने और उन पर लगे कलंक व भेदभाव की समस्याएं हल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

ऐसे तमाम प्रयास तथा विकास सम्बंधी विविध जो प्रयास हम सोच रहे हैं और कर रहे हैं उसे बदलने

के लिए हो रहे हैं, परंतु रुख और व्यवहार में किस तरह वास्तविक परिवर्तन आते हैं उसके बारे में आज भी बहुत कम समझ है। हम सतत यह मान रहे हैं कि लोगों के लिए है अच्छा जो हमें कहना है। एक बार उन्हें सूचना हमारी शिक्षा के प्रयासों के जरिए मिलेगी, फिर वे बदलेंगे, परंतु क्या वे वास्तव में बदलते हैं या फिर हम बदलते हैं? हम कितने वर्षों से ऐसा कह रहे हैं कि तम्बाकू सेवन मनुष्य को मार सकता है? शौचालय जाने के बाद हाथ धोने चाहिए और इसके बावजूद तम्बाकू की बिक्री बढ़ रही है, हर वर्ष लाखों बच्चे हाथ नहीं धोने से होने वाले रोग के कारण काल के गाल में समा जाते हैं और इस प्रकार जीवन जीने का बुनियादी अधिकार गंवाते हैं।

आई.ई.सी. के मॉडल की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति यदि शिक्षित बने और सूचनाप्रद बने, तो उससे सामाजिक परिवर्तन आता है। इससे अधिकांश गैर-सरकारी संस्थाएं और अधिकारी सूचना, शिक्षा व संप्रेषण तथा उसकी सामग्री के बारे में एक साथ बोलते हैं। कइयों को लगता है कि ऐसी सामग्री के आवंटन की जरूरत है जो सूचना दे तथा शिक्षा दे और फिर संप्रेषण तो स्वयं हो जाएगा। भारत में फ्लिप बुक्स, वीडियो तथा भित्तिपत्रों की कोई कमी नहीं है, परंतु वास्तव में परिवर्तनी की खामी है। क्यों? सूचना या शिक्षा का महत्व कोई नकार नहीं सकता, फिर भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे मानवाधिकारों के एक महत्वपूर्ण प्रश्न में यह स्पष्ट है कि जिसे जानकारी है और जो शिक्षित है वही कन्या भ्रूण हत्या करने में सबसे आगे रहता है। अतः हमें संप्रेषण के अर्थ के बारे में फिर से विचार करने की जरूरत है।

रणनीतिक संप्रेषण इस वास्तविकता की स्वीकारोक्ति के साथ शुरू होता है कि संप्रेषण परिवर्तन की सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रिया है। वह सामग्री पैदा करने का मामला नहीं है, फिर भले ही वह आवश्यक हो। संचार माध्यम का चयन कई चरणों के बाद आता है और अधिकांशतः इन चरणों की अवगणना होती है।

पीने के शुद्ध पानी की ही बात लें। किसी भी समुदाय में इस क्षेत्र में समस्या हल करनी हो, तो जल संसाथनों की उपलब्धि की समस्या सम्बंधी समझ से शुरूआत होनी चाहिए। क्या पीने के पानी का सुरक्षित स्रोत है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं है? यदि है, तो उस पर नियंत्रण किसका है, कौन उसे प्राप्त करता है? सभी को समान रूप से पानी मिले, यह कैसे संभव बनाया जा सकता है? ऐसी समानता सिद्ध करने में कौनसे सामाजिक व राजनीतिक अवरोध हैं? क्या वह स्रोत टिकाऊ है? कौनसे पर्यावरणीय परिबल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऐसा हम कैसे जानेंगे कि पानी का स्रोत सुरक्षित है? समुदाय के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? जल जन्य रोगों का खतरा कितना भयानक है? पानी प्राप्ति, संग्रहित करने व उपयोग करने की सामाजिक व पारिवारिक पद्धतियां क्या हैं? क्या इसमें महिला-पुरुष भेदभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पानी प्राप्ति के लिए क्या महिलाओं व लड़कियों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है अथवा क्या पानी के नल पर लंबी कतार में राह देखनी पड़ती है?

ऐसे प्रश्न और अन्य अनेक प्रश्न जानकारी देते हैं कि हमें किस तरह के परिवर्तनों की जरूरत है। ये परिवर्तन पानी के समतापूर्ण वितरण और सुरक्षित वितरण के लिए जरूरी हैं। यदि पानी के स्रोत का रक्षण करना जरूरी हो, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि किन और किसके परिवर्तन की जरूरत है। मनुष्य के व्यवहार व प्रकृति दोनों द्वारा ये तमाम परिबल चिरंतन बनने चाहिए। स्पष्ट सूचना व शिक्षा पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि वह अनिवार्य अवश्य है। सूचना की जरूरत है और सीखने की जरूरत है, ऐसा माने, इसके लिए किसी को समझाने की जरूरत तो है ही, परंतु कितनी ही बैठकें करें, वीडियो दिखाएं या भित्तिचित्र चिपकाएं तो भी परिवर्तन नहीं आएगा। हमें समस्या का गहन विश्लेषण करना पड़ेगा, परिवर्तन करने वालों को पहचानना होगा, परिवर्तन के आड़े आने वाले अवरोधों को बताना होगा, परिवर्तन के अवसर जानने होंगे और फिर संवाद शुरू करना होगा। एक मार्गी सूचना व शिक्षा कुछ नहीं कर पाएगी। सुनने की प्रक्रिया और संवाद की प्रक्रिया तमाम हितधारकों को सूचना व शिक्षा देती है, इसके बाद ही संप्रेषण सम्बंधी कुशलता हमें परिवर्तन के लिए जरूरी माध्यमों के चयन में उपयोगी होते हैं। विनिमय के लिए संदेश तैयार किया जा सकता है तथा बजट व समयसारिणी के अनुसार विभिन्न माध्यमों में से अनुकूल माध्यम का चयन किया जा सकता है।

विकास के लिए संप्रेषण : व्यवहार एवं प्रश्न

विकासलक्ष्यी संगठनों व विकास के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं के लिए कई बार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न गरीबों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों व बालकों के जैसे वर्गों के साथ संवाद करने का रहा है। संप्रेषण की आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करने के साथ-साथ परंपरागत संप्रेषण की व्यवस्थाओं का उपयोग किस तरह करें तथा दोनों के बीच सामंजस्य कैसे करें एवं विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग करने में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में विभिन्न कर्मशीलों द्वारा व्यक्त किए गए मंतव्यों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

ममता जेटली

कहानी सुनाना - जागरूकता लाने का एक तरीका

कहानी कहना हमारे देश की काफी पुरानी और प्रभावी परंपरा रही है। हमारे इतिहास और धर्म ग्रंथों में कहानियों द्वारा संदेश देने और लेने के कई उदाहरण मिलते है। सभी पुराण किसी न किसी प्रश्न से शुरू होते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक कहानी होती है। संदर्भों से पता चलता है रामायण की कहानी भी अनेक स्रोतों से होते हुए लिपिबद्ध हुई - यथा शिव ने पार्वती को सुनाई, काक भुशुण्डी ने गरूड़ को सुनाई आदि। पंचतंत्र की कहानियां सुनाने वाले एक शिक्षक विष्णु शर्मा थे जिन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षण प्रक्रिया के तहत ये कहानियां सुनाई थीं। हमारी सांस्कृतिक परम्परा ही श्रुति की रही है। इसीलिए कहानियां सुनाकर शिक्षा दी जाती रही और इन कहानियों को ज्ञान के भंडार के रूप में सुनकर और याद रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाया जाता रहा।

आज भी कहानी कहना संप्रेषण की एक प्रभावी विधा है। अलग-अलग व्यक्तियों और समूहों द्वारा इस विधा को एक खास मकसद

इस प्रकार रणनीतिक चिंतन एक लम्बा रास्ता है। कोई ऐसा कहेगा कि चलो हम एक सुंदर भित्तिपत्र बनाएं, तो कोई कहेगा कि हमें एक वीडियो की जरूरत है, परंतु क्यों जरूरत है। हमने ये जो निर्णय लिए, उन्हें वाजिब ठहराने की स्थिति और पाठक या श्रोता या दर्शक के बारे में हमारे पास कितना ज्ञान है? सबसे अधिक प्रभावी माध्यम तो बातचीत है, परंतु हम इस कौशल्य के बारे में कितना जानते हैं? अथवा हम समुदाय-आधारित संप्रेषण परम्पराओं और कौशल्य के बारे में कितना जानते हैं? समुदाय के भीतर प्रभावी लोग और परिवर्तन करने वाले लोग कौन हैं? उन्हें क्या परिवर्तन लाने की जरूरत है और अन्यों में परिवर्तन लाने के लिए वे क्या मदद कर सकते हैं? उन्हें मीडिया का चयन करना चाहिए या हमें?

जब हम सूचना, शिक्षा व संप्रेषण को चिंतन तथा आयोजन की रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में समझेंगे, तभी संप्रेषण में हम जो निवेश करेंगे वही हमें प्राप्त होगा। अन्यथा अब तक जो हुआ है वह बेकार जाएगा। बाजार बहुत पहले ही रणनीतिक संप्रेषण का महत्व समझ गया था। कोई भी साबुन या हल्के पेय की सफलता के पीछे मीडिया के विकल्प के बारे में किया गया चिंतन और अनुसंधान है तथा उस पर आधारित रणनीति है। यदि यह न किया जाए, तो विफलता मिलेगी और प्रतिस्पर्धा से बाहर होना होगा। इसके बावजूद सामाजिक संप्रेषण इस तरह किया जाता है कि विफलता के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। नागरिकों के अधिकारों व सुख-चैन पर विकास के क्षेत्र में संप्रेषण का प्रभाव पड़ता है, परंतु उसे अनुशासित चिंतन और कार्य से कोई सम्बंध नहीं है। अनुसंधान में निवेश करने के बारे में सबसे पहले विचार करने की बजाए अधिकांशतः अंत में सोचा जाता है। हमें वास्तव में तो बहुत गंभीरता से आत्मखोज करने की जरूरत है, अनुभवों से सीखने की जरूरत है। इसके अलावा संप्रेषण का संचालन के एक ऐसे साधन के रूप में उपयोग करने की जरूरत है, जिसे सिखाया जा सके, जिसका परीक्षण किया जा सके और जिसे मापा जा सके। ऐसे कई उदाहरण हैं जब सामाजिक परिवर्तन के लिए रणनीतिक संप्रेषण किया गया हो। इन पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है।

-अशोक चटर्जी, पूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद

के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मां, दादी और नानी अपने बच्चों के शिक्षण और मनोरंजन के लिए कहानी सुनाती हैं तो लोक कलाकार मनोरंजन और खास तरह का संदेश देने के लिए कहानियों द्वारा संप्रेषण करते हैं। धर्मगुरु धार्मिक शिक्षण के लिए कहानियां सुनाते हैं। पंडित व पुजारी सत्यानारायण या रामायण आदि की कथा सुनाते हैं। कई त्यौहारों जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी, संतोषी मां का व्रत आदि के साथ भी एक कहानी जुड़ी है। ये कहानियां बूढ़ी औरतें पूजा के समय खास मकसद से सुनाती हैं। ये कहानियां अधिकांशतः औरतों की यथास्थिति वाली छवि और परंपरागत भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए सुनाई जाती हैं।

लोक कलाकार कई धार्मिक कहानियां भी सुनाते रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ इलाके में गाई जाने वाली 'पंडवानी' जिसमें महाभारत की कहानियों को क्षेत्रीय भाषा में नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक और लोककथा कहने की विधा है राजस्थान की फड़। जिसमें कहानी सुनाने वाले, लम्बे से कपड़े पर कहानियों के चित्रों को पेन्ट करके उसे रोल कर लेते हैं। मां, दादी और नानी की कहानी अब भी इतनी ज्यादा दुर्लभ नहीं हुई हैं। किन्तु यह परंपरा अब टी.वी. और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बढ़ते हमले के कारण खत्म होती जा रही है।

बढ़ते बच्चों पर टी.वी. धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों का गहरा असर होता है। शक्तिमान जैसे धारावाहिक को देखकर अनेक बच्चे शक्तिमान की तरह अभिनय करके अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। पांच-छह साल की एक छोटी सी लड़की ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर बीच रात में बुरी तरह उठकर रोने लगी थी, उसने सपने में यह देखा था कि वह खुद सांप बनती जा रही है। वह लड़की इस स्थिति में बुरी तरह डूब चुकी थी कि वह खुद को सांप बनता हुआ महसूस कर रही थी। लगातार रो-रोकर वह कह रही थी कि देखो मेरे पैर, हाथ, मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी आवाज भी खो गई है।

एक और छोटी लड़की ऐसे ही एक धारावाहिक को देखकर यह मानने लगी थी कि उसकी दादी कभी नहीं मरेगी। उस नन्हीं बच्ची के इस अंधविश्वास को दूर करने में बच्ची के परिजनों को बहुत प्रयास करने पड़े।

टी.वी. और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद भी परम्परागत संप्रेषण के माध्यमों की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है और इसी क्रम में कहानी कहने की विधा के रचनात्मक और प्रभावी प्रयोग का महत्व अभी भी बरकरार है। शिक्षा पद्धति और विशेषकर मानसिक बदलाव के लिए आयोजित विकासात्मक या सशक्तिकरण कार्यक्रमों में आज भी इस विधा का प्रभावी प्रयोग हो रहा है। कई महिला समूह और स्वैच्छिक संस्थाएं अपने महिला संवेदनशीलता और सशक्तिकरण के शहरी और गांव स्तरीय प्रशिक्षणों में कहानी कहने की विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। इस लेख में महिला प्रशिक्षणों में कहानी कहने की विधा के अनेक प्रकार से प्रयोग किये जाने का जिक्र हम यहां कर रहे हैं।

१. वास्तविक जीवन की कहानियों से सामूहिक समझ बनाना

अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आरंभ में सभी प्रतिभागी अपने जीवन की कहानियां सुनाती हैं। ये कहानियां कभी तो दो-दो की जोड़ी में कही जाती हैं कभी छोटे समूहों या फिर बड़े समूहों में। कहानियों को कहने और सुनने के इस क्रम में प्रतिभागी खुद ही मिलकर कुछ निष्कर्ष भी निकालती हैं जैसा कि उदयपुर के साथिन प्रशिक्षण में हुआ था।

अनेक प्रतिभागियों ने बताया था कि वे विधवा हैं या छोड़ी हुई हैं और वे अपने पीहर में ही रह रही हैं। पहचान बनाने के इस क्रम में जब कुछ प्रशिक्षकों ने यह बताया कि उन्होंने शादी नहीं की तो प्रशिक्षार्थियों में से एक ने कहा कि "जीजी आप तो बड़ी किस्मत वाली हैं। आपने शादी न करने का फैसला किया जिससे आप को अपने माता-पिता का घर कभी छोड़ना ही नहीं पड़ा। हमारी तो शादी हुई थी पर अपनी मजबूरी में हमें दुबारा पीहर में आकर रहना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में पीहर में हमने अपना मान और स्थान दोनों ही खो दिया है। प्रशिक्षण के पहले दिन ही इस बात का अहसास होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।"

इस तरह कहानियों से उभरे विषयों से आगामी सत्रों में चर्चा के विषय भी निर्धारित किये जाते हैं जैसे दारू का औरतों के जीवन

पर प्रभाव तथा शराब के नशे से जुड़ी समस्याएं, वैवाहिक स्थितियों से जुड़ी समस्याएं जैसे वैधव्य, नाता, बहुपत्नी प्रथा या फिर द्रौपदी प्रथा आदि। पूरी प्रशिक्षण की अवधि में व्यक्तिगत उदाहरणों का विवरण दिया जाता रहता है। आरंभ में जब प्रशिक्षार्थी महिलाओं से पूछा जाता कि उनकी समस्याओं के कारण क्या हैं तो वे भगवान की मर्जी या किस्मत की बात कह देतीं, किन्तु प्रशिक्षण में होने वाली चर्चाओं से उन्हें यह अहसास होता कि यह मानव जनित स्थिति है और इसलिए इसमें बदलाव भी हो सकता है।

२. आदर्श या उदाहरण के लिए सफल औरतों की कहानियां

महिलाओं की स्थिति बदल सकती है इस बात को स्थापित करने के लिए संघर्षशील या सफल महिलाओं की कहानियों और जीवनियों का प्रयोग प्रशिक्षणों में किया जाता रहा है। कई बार इन कहानियों को लिखित में केस स्टडी के रूप में दिया जाता है और कहानियों के अंत में कुछ सवाल उठाए जाते हैं। प्रशिक्षार्थी इस संदर्भ सामग्री को छोटे समूहों में पढ़ती हैं या फिर किसी सफल महिला को अपनी कहानी खुद प्रस्तुत करने को आमंत्रित किया जाता है या फिर किसी कहानी को छोटे से नाटक की तरह से प्रस्तुत किया जाता है।

३. महिला मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए

कई बार किसी प्रशिक्षार्थी महिला द्वारा प्रशिक्षण के दौरान गाए गए गीतों का धार्मिक संदर्भ होता है। ऐसे में प्रशिक्षार्थी महिलाओं से उस गीत में छुपी कहानी के बारे में पूछा जाता है और कभी-कभी इन कहानियों से ही गंभीर चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षार्थी ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की कहानी पर एक गीत गाया। अहिल्या की कहानी जब प्रशिक्षार्थी महिला ने सुनाई तो सवाल उठा कि गलती किसकी थी - इन्द्र की या अहिल्या की?

४. गंभीर सिद्धांतों विषयों को समझाने के लिए

कई बार प्रशिक्षार्थी महिलाएं खुद किसी बात को समझाने के लिए कहानियों का सहारा लेती हैं। ऐसे ही एक प्रशिक्षण में चर्चा यह चली कि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति या फिर अपने सीमित दायरे के अनुसार ही किसी बात को समझता है। अपनी बात को समझाने के लिए तब एक महिला ने हनुमान की कहानी सुनाई जब वे सीताजी की खोज-खबर लेकर लंका वापस आए तो उन्होंने राम से पूछा कि मैं एक ही रास्ते से गया और वापस लौटा था पर फिर भी मुझे लगा कि रास्ता बदला-बदला सा था। इस पर रामने जवाब दिया कि रास्ता तो वही था पर तुम्हारी मानसिक स्थिति बदल गई थी। जब तुम लंका जा रहे थे तो तुम बहुत क्रोध में थे इसीलिए जिन फूलों पर भी तुमने नजर डाली वो लाल ही नजर आए पर वापसी के समय तुम बहुत खुश थे इसीलिए तुम फूलों के स्वाभाविक रंग देख पाए।

५. महिला अधिकारों के लिए जागरूकता

कई बार प्रशिक्षक जटिल स्थितियों के समाधान हेतु कहानियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं कहानियों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और हकों की बात समझाई जाती है। ऐसे ही एक प्रशिक्षण में यह चर्चा चल रही थी कि बच्चे की पहचान हमेशा पिता के नाम से ही क्यों होती है? समाज में अधिकांश लोग यही क्यों सोचते हैं "कि बच्चे पर मां का कोई हक नहीं होता। बच्चे पर मां का हक होता है या नहीं इसे समझाने के लिए प्रशिक्षकों द्वारा यह कहानी सुनाई गयी।

एक बच्चे की मां को उसका पति तब छोड़ गया जब बच्चा बहुत छोटा था। उस औरत ने बड़ी मेहनत से छोटे-मोटे काम करके बच्चे को पाल पोसकर बड़ा किया। कुछ सालों में ही वह बच्चा सुन्दर नौजवान बन गया। पिता तब वापस आया और बच्चे को अपने साथ ले जाने की बात कहने लगा। औरत ने लाख मना किया पर उसकी विनती का कोई असर नहीं हुआ।

इस पर औरत ने जाति की पंचायत को बुलाकर न्याय की मांग की। औरत ने लाख तर्क दिए पर पंचायत ने तय किया कि बेटे पर तो बाप का ही हक है। इस पर औरत ने कहा, 'पंचों पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, तब फिर आपको जो ठीक लगे वही फैसला करना। औरत ने कहना जारी रखा, मेरे पास दूध है, मैं दहीं जमाना चाहती हूं पर जामन नहीं है। मैं अपने पड़ौसी के घर जाकर थोड़ा सा जामन ले आती हूं। इस जामन से मैंने दूध जमा दिया। अब पड़ौसी कहता है कि दही मेरा है। आप बताएं कि दही मेरा है या

पड़ौसी का? पंचों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था आखिरकार उन्होंने यह फैसला दिया कि बेटे पर उसी औरत का हक है।'

६. प्रशिक्षार्थी महिलाओं की मानसिक स्थिति समझने के लिए

बड़े समूह में एक-एक वाक्य जोड़कर कहानी बनाने से प्रशिक्षार्थियों की मानसिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। एक प्रशिक्षण के दौरान सामूहिक कहानी गढ़ने की प्रक्रिया में एक प्रशिक्षार्थी हमेशा कहानी के पात्र को मार डालती थी जबकि अन्य प्रशिक्षार्थी चरम निराशा की स्थितियों में से भी फिर से जीवन की रचना कर देती। बाद में इस गतिविधि के विश्लेषण के दौरान पता लगा कि कहानी में पात्रों को मार देने की प्रवृत्ति वाली प्रशिक्षार्थी के इस व्यवहार का कारण यह था कि अपने दुखों से भरे जीवन ने उसे अत्यन्त निराशावादी बना दिया था। किसी भी बदलाव के प्रति उसे जरा भी आस्था नहीं थी।

७. सांप्रदायिक सद्भाव के लिए

इस उद्देश्य के लिए दो कहानियां काम में ली गई। पहली "चांदनी और मदीना" इस कहानी में दो ऐसी सहेलियों का जिक्र था जो पक्की सहेलियां थीं और हूबहू एकसी यानि जुड़वा दिखती थीं। एक दिन स्कूल जाते समय सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। दोनों के परिजन उनके शवों को लेने आए किन्तु वे तय नहीं कर पाए कि कौन चांदनी है और कौन मदीना।

सवाल बड़ा ही गंभीर यह था कि धार्मिक रीति के अनुसार किसे जलाया जाए और किसे गाड़ा जाए? प्रशिक्षार्थी घंटों इस सवाल का जवाब ढूंढने में माथा पच्ची करती रही। एक की नजर में कोई समाधान आता तो दूसरी तुरन्त उसके विपरीत तर्क प्रस्तुत कर देती। धीरे-धीरे धैर्य उनका साथ छोड़ने लगा। वे प्रशिक्षकों से सही जवाब पूछने लगी।

प्रशिक्षकों ने भी जब यह कहा कि उनके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है किन्तु उनकी समझ में यह सवाल उठाना ही व्यर्थ है। दोनों लड़कियां अच्छी सहेली थीं। साथ ही दोनों की मौत हुई। दोनों ने मजहबी भेदभाव को भूलकर एक दूसरे का साथ दिया। जब मौत ने उनकी आपसी पहचान को मिटा दिया तो फिर इंसानों के लिए यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण बन गया कि किसको जलाया जायए और किसको दफनाया जाए।

दूसरी कहानी जानी-मानी लेखिका इस्मत चुगताई की आत्मकथा "कागजी है पैरहन" से उनके बचपन के अंश से ली गई थी। कहानी इस प्रकार थी: बचपन में वे अपनी हिन्दू मित्र के घर जन्माष्टमी के दिन पालने से बाल गोपाल कृष्ण की मूर्ति चुरा लेती हैं जिसके लिए उन्हें बहुत प्रातड़ित किया जाता है। इस घटना के बाद उस परिवार से उनका संपर्क टूट जाता है।

कुछ सालों बाद उनकी वापसी होती है उस समय उनकी मित्र की शादी होने वाली थी। मित्र बड़े इसरार से उन्हें बुलाती है। बंद कमरे में वह इस्मत का जूठा लड्डू खुद खाती है और बड़े दुलार से उसे बाल गोपाल की मूर्ति भेंट करती है। अपनी आत्मकथा में इस्मत लिखती हैं कि उन्हें बाल गोपाल में बड़ी आस्था है। दुख के क्षणों में इस मूर्ति को हाथ में लेते ही उन्हें बड़ी ताकत मिलती है।

८. विकल्पहीनता दर्शाने के लिए

अकसर औरतें विकल्पहीनता की ऐसी स्थिति में जीती हैं जब उन्हें पता नही चलता कि वे क्या करें। इसी विकल्पहीनता को दर्शाने के लिए कुछ कहानियां सुनाकर उन पर चर्चा की जाती है। ऐसी ही एक कहानी उस राजा की है जो अपराधी को सजा चुनने में भी विकल्प देता है। ये दोनों ही विकल्प हैं या तो १०० कौड़े खाओ या फिर सौ जूते। बेचारा अपराधी तय नहीं कर पाता कि कौनसा विकल्प बेहतर है। परिणामस्वरूप वह कौड़े भी खाता है और जूते भी। इस कहानी से औरतों की विकल्पहीनता की स्थिति पर काफी सार्थक चर्चा हो पाई है। चाहे घरेलू हिंसा का सवाल हो या आजादी के हक का। या तो पति के साथ रहो और घरेलू हिंसा सहो या फिर पति को छोड़ दो, घर से बेघर हो जाओ और छोड़ी गई औरत कहलाओ।

९. औरतों की बदली हुई आत्मछवि दर्शाने को खुद की बनाई कहानियां

सक्रिय महिला कार्यकर्ता अपनी बदली हुई आत्मछवि को दर्शाने

के लिए खुद कहानियां लिखती हैं। एक कहानी जो पुरुषों द्वारा भी बहुत पसंद की जाती रही हैं वह हैं 'रोटी बनाए जाट'। इस कहानी में एक पुरुष यह टिप्पणी करता है कि औरतें घर में कोई काम नहीं करती। घर का काम भी कोई काम है? बस वो तो घर में मौज मस्ती करती हैं। उस पुरुष की पत्नी इस टिप्पणी का विरोध करती है। उसे चुनौती देती है कि तुम अब से घर का काम संभालो मैं खेत पर जाऊंगी। अगले दिन पत्नी खेत पर चली जाती है और पति घर का काम संभालता है। पुरुष घर का हर काम बिगाड़ देता है। गाय का सारा दूध बछड़ा पी जाता है। खाना जल जाता है। खेत पर जल्दी जाने की धुन में अंततः वह धोती पहनना भी भूल जाता है। अंत में उसे अपनी गलती का अहसास होता है तो वह क्षमा मांगता है और पत्नी से घर का काम सम्भालने का अनुरोध करता है।

एक अन्य कहानी उस साधू की है जो औरतों को घूरता रहता था और उन पर भद्दी छींटाकशी करता था। एक साहसी औरत साधू को सुधारने की योजना बनाती है। वह उसे अपने घर यह कहकर बुलाती है कि उसका पति उस समय घर पर नहीं होगा। साधू महिला के इस प्रस्ताव को तुरन्त मान लेता है।

उस दिन तय किए समय पर साधू जब औरत के घर पर आता है तो औरत पहले से अपने पति के जूते दरवाजे पर रख देती है। वह साधू से कहती है अभी पति घर पर है। थोड़ी देर में चले जाएंगे। तब तक आप यहां बैठ कर मेरी ओढ़नी ओढ़ लो और चक्की पर अनाज पीसने लगो। साधू लूगड़ी ओढ़ कर अनाज पीसने लगता है। खूब देर हो जाती है न तो औरत बाहर आती है न उसका पति। साधू चुपचाप भाग जाता है। कुछ दिन बाद साधू फिर दिखाई पड़ता है और उसे फिर से घर बुलाती है। साधू चिढ़ कर जवाब देता है क्या पिसा हुआ आटा खत्म हो गया। उसी दिन से साधू अपने आपसे बहुत शर्मिन्दा होता है और औरतों से बुरा व्यवहार करना बंद कर देता है।

औरतों द्वारा बनाई इस तरह की कहानियां पुरुषों को भी खूब पसंद आती है। जयपुर जिले के फागी प्रखण्ड के थला गांव में महिलाओं के साथ आवासीय साक्षरता शिक्षण के प्रयोग के दौरान अनेक पुरुष रोज शाम को इस तरह की कहानियां सुनने आया करते थे। 'म्हारां घर रो आदमी दारू पी घर आए' जैसे गीतों में महिलाओं के दुख की बात सुन कर कई पुरुष रो उठते थे। इन सभी उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुषों द्वारा भी कहानी कहने और सुनने की विद्या आज भी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। कई विशेषज्ञ व प्रशिक्षक आज भी बड़ी सफलता पूर्वक और रचनात्मकता से इस विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। इन कहानियों द्वारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही जागरूकता, मानसिक बदलाव, संवेदनशीलता और अंततः सामाजिक बदलाव लाने का भी यह एक अत्यन्त सशक्त माध्यम है।

सुश्री लक्ष्मी मूर्ति
विकल्प डिजाइन, उदयपुर, राजस्थान

विशिष्ट जरूरतों के लिए विशिष्ट माध्यम

डिजाइन व संचार को परम्परागत रूप से विकासलक्ष्यी कार्यक्रम के विस्तार के रूप में देखा जाता है। जब संचार की पद्धतियों व विषयों को विकसित किया जाता है तब संप्रेषण करने वाले कई बार श्रोताओं, दर्शकों या पाठकों की जरूरतों की अवगणना करते हैं और सब कुछ सभी को लागू पड़ता है, ऐसा मान कर संप्रेषण की योजना तैयार करते हैं। हालांकि संदेश भेजने व लेने वाले के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसका कारण है कि संदेश भेजने वाले अधिकांशतः शिक्षित व्यवसायी होते हैं और संदेश लेने वाले अधिकांशतः निरक्षर ग्रामीण होते हैं। लोगों को भुलाकर जब सामग्री तैयार की जाती है तब वह उपयुक्त संप्रेषण में परिणित नहीं होती और गलत संप्रेषण पैदा होता है।

इस बारे में धारणाएं बना ली जाती हैं कि लोग किस तरह चित्र समझेंगे और उसका अर्थघटन करेंगे। संप्रेषण की रणनीतियों पर सहभागी पद्धतियों पर जोर देने की शुरूआत हो गई है।

विच्छेद कहां है?

यहां संचार के लिए पांच सूत्री दृष्टिकोण दिया गया है। यह दृष्टिकोण संदेश भेजने वाले सभी लोगों को अपनाना चाहिए।

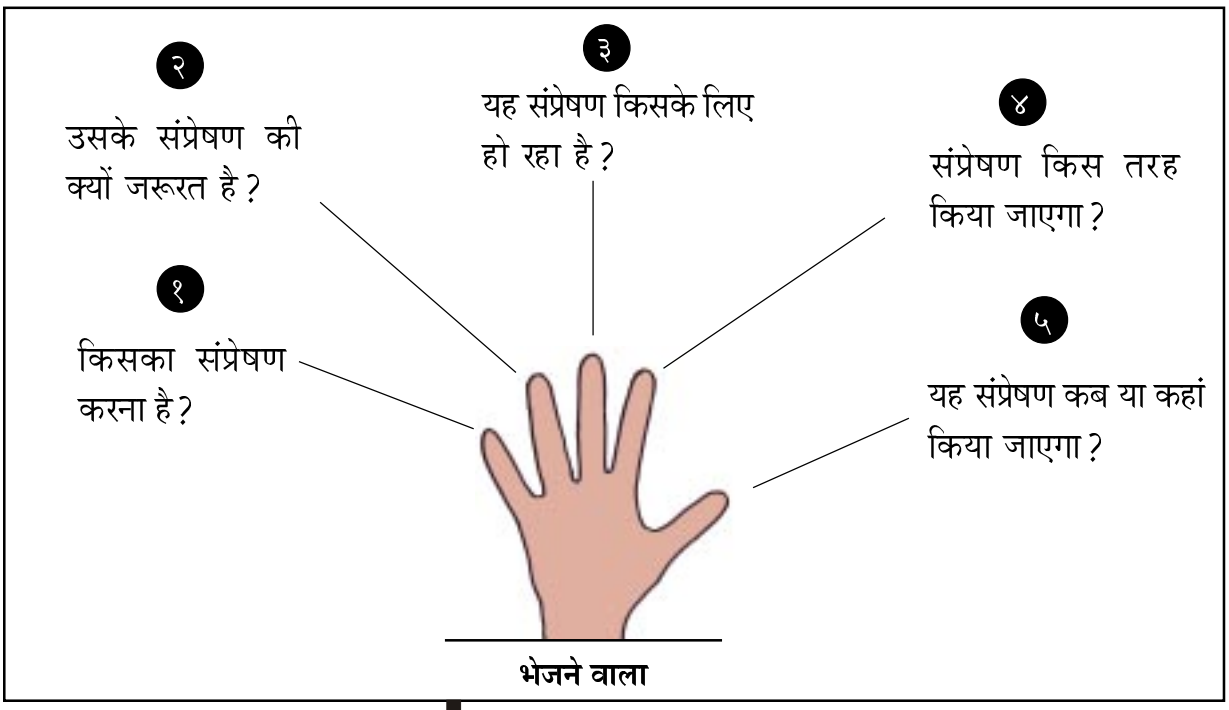

२
उसके संप्रेषण की क्यों जरूरत है?

३
यह संप्रेषण किसके लिए हो रहा है?

४
संप्रेषण किस तरह किया जाएगा?

१
किसका संप्रेषण करना है?

५
यह संप्रेषण कब या कहां किया जाएगा?

भेजने वाला

उसका उपयोग

२

उदाहरण-१
लड़के अच्छी शिक्षा व अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। लड़कियों की अवहेलना होती है और इसीलिए उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कुल मिलाकर सुख-सुविधा को भी प्रभावित करता है।

उदाहरण-२
कोई सीधी-सादी बात तुम्हारे स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती है।

३
जो ग्रामीण निरक्षर और गरीब हैं उन तक संदेश पहुंचना ही चाहिए।

४
संदेश भित्तिपत्र पर लिखे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसे देखेगा।

१

उदाहरण-१
लड़के-लड़कियां समान हैं, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

उदाहरण-२
घड़े पर ढक्कन रखा जाए तो वह तुम्हारे स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है।

५
सामुदायिक केन्द्र में यह भित्तिपत्र चिपकाया जाएगा।

भेजने वाला

किसी कलाकार या डिजाइनर को भित्तिपत्र बनाने के लिए बुलाया जाता है। दो विभिन्न मुद्दों पर संदेश भेजने वाले दो भित्तिचित्र बनाए जाते हैं। एक गुणवत्ता के लिए और दूसरा स्वास्थ्य के लिए तैयार किया जाता है।

भित्तिपत्र-१

यह भित्तिपत्र सामुदायिक केन्द्र में रखा गया था।

भित्तिपत्र-२

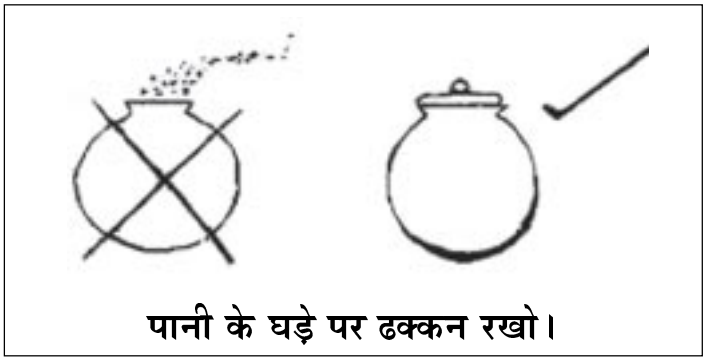

यह भित्तिपत्र सामुदायिक केन्द्र में रखा गया था।

भित्तिपत्र-१ का संदेश

लड़के और लड़कियां समान हैं। यहां कलाकार द्वारा जिस तर्क का उपयोग किया जाता है वह तराजू है। इसमें तराजू के दोनों पलड़े समान रखे गए हैं। यह समानता अथवा न्याय दर्शाता है।

पाठकों को क्या लगा?

जब कुछ निरक्षर ग्रामीणों ने यह देखा तो उन्होंने अलग-अलग अर्थ निकाले। एक लड़का और लड़की किराने की दुकान पर कुछ खरीदने जा रहे हैं, लड़का लड़की को पकड़ रहा है, लड़कियां आजकल लड़कों से हमेशा आगे रहना चाहती हैं। भित्तिपत्र के नीचे जो नारा लिखा गया था वह भुला ही दिया गया।

भित्तिपत्र-२ का संदेश

धूल और मक्खियां अंदर न जाएं, इसके लिए पानी के घड़े को ढक्कन से ढक कर रखो और स्वास्थ्य के लिए होने वाले खतरे को टालो।

पाठकों को क्या लगा?

एक घड़ा ढक्कन रहित है और लकड़ी के चकरे पर रखा गया है, जबकि दूसरा घड़ा ढका हुआ है। दूसरे घड़े के बराबर में सही का जो निशान किया गया है, उसे पानी निकालने का साधन समझा गया। यह बात तो भुला ही दी गई कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए क्या करना चाहिए।

चित्रों का उपयोग और साक्षरता का स्तर : प्रथम विच्छेद

जब चित्र का अर्थघटन अलग तरीके से किया जाता है तब संप्रेषण विफल हो जाता है। चित्र की भाषा में जो बड़ा अंतर है, उसकी संप्रेषण के इस माध्यम के द्वारा अवगणना ही की गई। ऐसी एक धारणा है कि प्रतीक सार्वत्रिक हैं। दुनिया भर की तमाम संस्कृतियों के सभी लोग एक चित्र को एक ही तरीके से समझते हैं, ऐसी धारणा बना ली गई है, परंत प्रतीक व चित्र सार्वत्रिक नहीं है। जो लोग स्कूली शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे सही-गलत की निशानी, चित्रवार्ता में रखे गए शब्द, तराजू आदि को ज्यों का त्यों स्वीकार लेते हैं और उनका प्रतीकात्मक अर्थ रहता ही नहीं है। विभिन्न लोग विभिन्न ख्यालों से विभिन्न बातों को समझते हैं। चित्र देखने से जो ख्याल व्यक्ति को आता है, वह तो चित्र को पढ़ने से भी आता है और फिर वह व्यक्ति उस चित्र का अर्थघटन करता है तथा समझता है। इसमें उसके व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक माहौल काम आता है। कोई एक समूह की यह चित्रभाषा समयांतर में विभिन्न संदर्भों के साथ विकसित हुई होती है।

शहरी डिजाइनर जब निरक्षर व ग्रामीण समूहों के साथ काम करते हों तब संप्रेषण में उन्हें अपनी भूमिका पुनः परखने की जरूरत है। लोगों की स्वयं की चित्रात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिले, इसके लिए उन्हें प्रेरक के रूप में काम करना है और सुलभकार के रूप में भूमिका निभानी है। ऐसा किया जाए तो अंततः ऐसी चित्रात्मक

भाषा और ऐसा चित्र खड़ा होगा जो लोगों की जरूरतों के प्रति प्रतिभावात्मक होगा।

यह एक ऐसा चित्र है, जिसे एक निरक्षर महिला ने खींचा है। यह महिला अपने गांव की सरपंच भी है। वह इस चित्र द्वारा कहना चाहती है - मैं लिख या पढ़ नहीं सकती। इसलिए मेरी पुत्री मुझे दस्तावेज पढ़ कर नहीं सुनाए तब तक मैं किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करती।

'देखे बगैर दस्तावेज में हस्ताक्षर नहीं करो' जैसा संदेश देने के लिए बिल्कुल अलग ही सांस्कृतिक माहौल से आने वाला कलाकार व्यक्ति कोई चित्र खींचे तो वह चित्र इससे कितना अलग होगा! समुदाय के साथ चर्चा के दौरान जो महिलाएं अधिकांश चुप रहती हैं, वे चित्रों द्वारा अपनी बातें प्रस्तुत कर सकती हैं। महिलाओं के अनुभव और समुदाय में उनकी भूमिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए और उनकी नए सिरे से व्याख्या करने के लिए व्यापक प्रक्रिया के तहत संप्रेषण के नए क्षेत्र खुलने चाहिए।

जिन कार्यशालाओं में महिलाओं को चित्रों द्वारा अपनी बात पेश करने के लिए बढ़ावा मिलता है वहां अब तक छिपे रहे मुद्दे बाहर आते हैं। जैसे घरेलू हिंसा, कार्य का भारी बोझ, महिला-पुरुष असमानता, सामाजिक अवहेलना आददि। इन समस्याओं पर चित्र खींचे जाए तभी से चर्चा की शुरूआत हो सकती है और नई बातें सामने आ सकती हैं।

मीडिया का चयनः दूसरा विच्छेद

एक भित्तिपत्र के लिए उपरोक्त दो मुद्दे योग्य नहीं थे। संदेश अति व्यक्तिगत स्वरूप के थे। यदि इन संदेशों का उपयोग अलग तरह से किया जाता तो वे अधिक कारगर साबित हो सकते थे। जैसे छोटी समूह चर्चा में फ्लैश कार्ड का उपयोग किया जा सकता था अथवा रोल-प्ले का मंचन किया जा सकता था।

मीडिया में प्रस्तुतिः तीसरा विच्छेद

दोनों भित्तिपत्र सामुदायिक केन्द्रों पर रखे गए। सामुदायिक केन्द्र में कई संगठन अनेक भित्तिपत्र लगाते हैं अर्थात् इन भित्तिपत्रों की भीड़ में वे खो गए। बहुत कम लोगों ने ही देखा, पढ़ा और इसके बावजूद वे उन्हें समझ नहीं सके।

विच्छेद को कैसे रोका जाए?

१. **जब मीडिया सम्बंधी आयोजन किया जाता है, तब लोगों को पूर्णतः समझना चाहिए।**

- किसी भी संदेश या चित्र का अर्थघटन करने में संस्कृति व पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- चित्रों पर से जो ख्याल आता है, वह हर संस्कृति के हिसाब से अलग होता है और उसका समावेश संप्रेषण की किसी भी डिजाइन में करना चाहिए।
- समुदाय की साक्षरता का जो स्तर क्या है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। जो सामग्री तैयार की जाती है उसमें सम्बद्ध क्षेत्र की भाषा होनी चाहिए।
- महिलाओं व पुरुषों दोनों को सम्बोधित कर कही गई बातें होनी चाहिए।
- समुदाय ने जो चित्र खींचे हों वे चित्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं।

२. **संप्रेषण के लिए सामग्री का सामुदायिक परीक्षण होना चाहिए।** क्षेत्रीय परीक्षण हो तो अर्थघटन गलत नहीं होगा। जिस मीडिया से भी शुरूआत की जाए, उससे पहले इसकी जांच होनी

चाहिए कि मीडिया जो इरादा वही संदेश पहुंचाता है या नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा लोग भी यह सुझा सकते हैं कि उनके लिए कौनसा मीडिया अधिक अनुकूल है। ऐसा हो तो अनुपयुक्त मीडिया के चयन से बचा जा सकता है। भूतकाल में कई सामग्री परीक्षण के बगैर ही तैयार की गई और इसमें काफी धन खर्च हुआ। उस समय ऐसा परीक्षण जरूरी नहीं लगा था। मीडिया के लिए अनुसंधान करने पर समय व धन खर्च करना चाहिए।

३. मीडिया महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने चाहिए

अनजाने में ही मीडिया महिला-पुरुषों की निर्धारित भूमिकाओं को बढ़ावा देते हैं, जब कोई बस चलाई जा रही हो तो उसमें पुरुष ही चालक होता है। विमान के पायलट के रूप में महिलाओं को नहीं, पुरुषों को बताया जाता है, जबकि सामग्री तैयार करते वक्त इस संतुलन को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे चित्र तैयार करने चाहिए जिनसे संतुलन बना रहे।

४. मीडिया का चयन सावधानीपूर्वक होना चाहिए।

यह परखने की जरूरत है कि कौनसा मीडिया काम देगा और कौनसा संदेश के लिए अनुकूल होगा, यह परखने की जरूरत है। इस बारे में निर्णय कई परिबलों पर आधारित होता है। जैसे कि लोगों का चयन, प्राप्य धन और महिला-पुरुष भेदभाव। उदाहरण के लिए जिन घरों में रेड़ियो होता है वहां वह अधिकांशतः पुरुषों के हाथ में होता है। उसे महिलाएं शायद ही सुन पाती हैं।

५. मीडिया में प्रस्तुति का समय

मीडिया में प्रस्तुति कब होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में जब विवाह का मौसम हो तब कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि लोग व्यस्त होते हैं। फसल कटाई के समय भी लोग व्यस्त होते हैं। इसलिए प्रस्तुति के सही समय का चयन काफी महत्वपूर्ण होता है।

केस स्टडी

किशोरियों व महिलाओं को मासिक रक्तस्राव के दौरान किन-किन

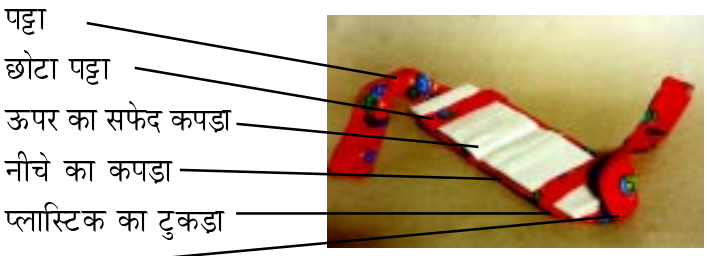

सिल कर तैयार किया गया सेनिटरी नेपकीन

बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, इस बारे में संप्रेषण की योजना निम्नानुसार है:

१. किसका संप्रेषण करना है ?

मासिक रक्तस्राव ऐसा समय है जब तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। इस समयावधि के दौरान तुम्हें रोज स्नान करना चाहिए और स्वयं को काफी स्वच्छ रखना चाहिए। तुम्हें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और दिन में कम से कम तीन बार बदलने चाहिए।

२. यह संप्रेषण क्यों जरूरी है ?

कुछ किशोरियां व महिलाएं स्वयं को लेकर काफी लापरवाह होती हैं। वे सामान्यतः किसी भी रंग के और पुराने कपड़े पहनती हैं। कई बार तो ये कपड़े ठीक से धुले हुए भी नहीं होते। इस कारण संक्रमण की सर्वसामान्य समस्या पैदा होती है। कई बार रक्तस्राव गुलाबी,

लड़किया सेनिटरी नेपकीन सिल रही है।

कत्थई या हरे रंग का होता है और वह संक्रमण दर्शाता है। गहरे रंग के कपड़े का उपयोग करने पर यह संक्रमण नहीं दिखता है। इससे काफी लम्बे समय तक समस्या पकड़ में नहीं आती और उसके परिणामस्वरूप उपचार में विलम्ब होता है। यदि रक्तस्राव असाधारण प्रकार का हो और जल्दी मालूम हो जाए तो महिलाएं उपचार करा सकती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस बारे में सूचना देना ही पर्याप्त नहीं है। महिलाओं व लड़कियों को व्यावहारिक हल की जरूरत होती है।

३. यह संप्रेषण किसके लिए करना है?

युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए। ये लोग सामान्यतः हमेशा किसी भी रंग के कपड़े का उपयोग करती हैं। उन्हें इसमें परिवर्तन के बारे में समझाने की जरूरत है।

४. यह कैसे किया जाएगा?

अ. किशोरियों व महिलाओं के साथ बैठक कर, बातचीत करके मासिक रक्तस्राव की अवधि के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

आ. सेनिटरी नेपकीन या कपड़े का पैड बनाया जाएगा। जो वस्तु स्थानीय रूप से आसानी से मिल जाती हो उससे यह बनाया जाएगा। उसकी डिजाइन भी आसान हो जिससे तेजी से सिला जा सके।

५. यह संप्रेषण कब अथवा कहां किया जाएगा?

अ. इस बारे में २० से २५ महिलाओं या लड़कियों के छोटे-छोटे समूहों में इस बारे में सत्र लिए जाएंगे।

आ. यह सत्र किसी वृक्ष के नीचे या खुले में नहीं, बल्कि किसी कुटिया में लिया जाएगा जिससे लड़कियां इस बारे में आपस में चर्चा कर सकें और स्वयं अपना पैड सिल सकें।

श्री अपूर्व ओझा
ए.के.आर.एस.पी., अहमदाबाद, गुजरात

आगाखां ग्राम सहायता कार्यक्रम (ए.के.आर.एस.पी.) पिछले २१ वर्षों से ग्रामीण विकास क्षेत्र में कार्यरत संस्था है। उसके आरंभिक वर्षों में प्रत्यक्ष सम्पर्क ग्रामीण समुदायों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी मार्ग साबित हुआ था, परंतु जैसे-जैसे संस्था का विकास होता गया, वैसे-वैसे अधिकाधिक लोगों तक निश्चित संदेशों के साथ पहुंचने की जरूरत पैदा हुई।

जागृति फैलाने के लिए संप्रेषण एक महत्वपूर्ण संसाधन बना। लोगों को संवेदनशील बनाने व क्षेत्र के सफल प्रयोगों का आदान-प्रदान करने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। पिछले दस वर्षों के दौरान संप्रेषण का एक साधन के रूप में उपयोग किया गया है। एकेआरएसपी एक संस्था के रूप में यह समझने लगी कि स्थानीय मनोरंजन के संसाधनों का उपयोग संचार के लिए सबसे प्रभावी रास्ता है। इसीलिए हर-प्रदेश और हर समुदाय के लिए मीडिया अलग-अलग होता है।

जूनागढ में लोक डायरा, ट्रैक्टर यात्रा और प्रदर्शनियां लोगों तक विभिन्न संदेश पहुंचाने में भारी सफल रही हैं, जबकि सुरेन्द्रनगर में नुक्कड़ नाटक तथा पदयात्राएं काफी प्रभावी रही हैं। दक्षिण गुजरात में आदिवासी पट्टी में प्रेरक गीत, नुक्कड़ नाटक और रेडियो कार्यक्रम सुदूर प्रदेशों में पहुंचाने में सफलता मिली है। दिलचस्प बात यह है कि समुदायों ने सभी कार्यक्रमों में अच्छी रुचि दिखाई है और किसान तथा महिला मंडलों ने आयोजन में भूमिका भी निभाई है। समुदाय इन प्रसंगों को विभिन्न समस्याओं व मुद्दों को उठाने की घटना के रूप में देखता है और वे इसमें सरकार को भी इसमें ध्यान में रखते हैं।

२००६ में आयोजित कुछ कार्यक्रम

जूनागढ़

जूनागढ़ के मनोरंजन पैटर्न के आधार पर यह लगा है कि लोक डायरा और नुक्कड़ नाटक रात्रि में ही आयोजित हों तो अच्छा होगा क्योंकि उस समय सभी खाली होते हैं। इस समय लोग वह कार्यक्रम न केवल देखते हैं, बल्कि वे संदेशों को अच्छी तरह समझते भी हैं। गत वर्ष विश्व जल दिवस पर १८ ट्रैक्टरों की एक रैली निकाली गई। यह रैली क्षारयुक्त जल समस्या से पीड़ित १६ गांवों से गुजरी। रैली का ४० प्रतिशत खर्च समुदाय ने उठाया। यह दर्शाता है कि समुदाय इस जागृति के महत्व को

समझता है।

इतने वर्षों से अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जा रहा है। वह गांवों में एक वार्षिक प्रसंग ही बना रह गया है। इस वर्ष २२ गांवों की १६०० महिलाओं ने ऐसे दो प्रसंगों में भाग लिया। इन प्रसंगों में जल संग्रह, पेयजल उपलब्धता, कृषि पद्धतियों, स्वास्थ्य और महिला-पुरुष भेदभाव के बारे में बातें की गईं। कच्छ महिला विकास संगठन, स्नेह और आगाखां हैल्थ सर्विसेज को विभिन्न मुद्दों पर अपने अभिप्राय व्यक्त करने के लिए निमंत्रित किया गया। डॉ. उसादढिया ने एचआईवी-एड्स, सफाई तथा महिला-पुरुष भेदभाव के मुद्दों को प्रस्तुत किया।

२००६ में उद्योग मेला नामक नए विचार की शुरूआत हुई। इस मेले में छोटे पैमाने की आय अर्जन की गतिविधियों को एक ही छत्र के नीचे पेश करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसका उद्देश्य समुदायों को ऐसे नए विचार देना था जो कृषि की परम्परागत पद्धतियां संसाधनों के अभाव में छोड़ रहे हैं। आय सर्जन की प्रवृत्तियों के अलावा कृषि की संशोधित पद्धति, जल संग्रह की पद्धति और क्षार नियंत्रण की पद्धति पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया और उनका निदर्शन भी किया गया। पांच दिन तक क्षार प्रतिरोधक संदेश देने वाले पोस्टर सोमनाथ मंदिर के निकटस्थ एक स्टॉल पर वितरित किए गए।

हर रोज ५००० लोग इस मंदिर में आते हैं। इस कारण यह संदेश दूर-दूर तक पहुंचा। ११ तहसीलों में क्षार प्रतिरोधक सम्बंधी एक नुक्कड़ नाटक मंचित किया गया। लगभग ४००० लोगों ने उसके शो देखे। इसमें एकेआरएसपी और सरकार के साथ समुदायों की भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके अलावा तीन लोक डायरे आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य मोघल नदी का पुनरुत्थान था। इसमें कई लोकगीत गाए गए।

इस इलाके में खेती एक महत्वपूर्ण विषय है, जहां बरसात काफी अनियमित है। इसीलिए यहां वर्षा पूर्व बुवाई पर विशेष अभियान चलाया गया। सफल किसानों की कहानियां पेश हुईं। खासकर जिन्होंने टपक सिंचाई द्वारा अच्छी फसल उगाई थी, उनकी बातें पेश की गईं। तलाला में विद्युत उत्पादन पर प्रतिबंध है। इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा मुख्य मुद्दा है। तलाला आरक्षित वन क्षेत्र है। इसलिए वहां इस प्रतिबंध के कारण वैकल्पिक ऊर्जा की संभावनाओं और लाभों पर प्रदर्शनी आयोजित की गई।

सुरेन्द्रनगर

सौराष्ट्र के इस लगभग सूखे इलाके में नुक्कड़ नाटक काफी प्रभावी रहे हैं। इसका कारण है कि इसमें लोगों की साक्षरता की मात्रा काफी है। इस कारण जागरूकता में वृद्धि हुई है। इस वर्ष ४६ गांवों में दस नाटक मंचित किए गए। इनका उद्देश्य बचत व ऋण का विचार लोकप्रिय बनाना था। यह समझना था कि इसके अलावा अकाल का सामना कैसे करें और इसमें यह प्रवृत्ति किस तरह मददगार साबित हो सकती है।

इन नाटकों का लोगों पर खासा असर हुआ है। कुछ लोगों ने उनके गांवों में ऐसे समूह शुरू करने की जरूरत महसूस की। दिलचस्प यह है कि कुछ समूहों ने इन प्रवृत्तियों में दिलचस्पी खो दी थी, परंतु उन्होंने उसकी चर्चा शुरू की। उन्होंने बचत व ऋण की प्रवृत्तियां पुनः शुरू करने में रुचि ली। गांव में सामाजिक खर्चे घटाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लोगों ने इस मुद्दे को आसानी से स्वीकारा और उसके अमल की शुरूआत की। अब लोग सामाजिक खर्चे घटाने के कई सुझाव लेकर आते हैं।

सभी चारों तहसीलों में अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया, ताकि महिलाएं अधिक अच्छी भागीदारी दर्ज कराएं। अधिकांशतः महिलाएं निकटस्थ नगर तक ही जाया करती हैं। इस प्रयास को खासी सफलता मिली। महिलाओं ने इसमें काफी भाग लिया। स्वास्थ्य, बचत, ऋण, छोटे व सीमांत किसानों के लिए आय अर्जन व विश्व के बाजार का उनके जीवन पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। आमंत्रित लोगों ने कई मुद्दे स्पष्ट किए। खासकर उन पुरुषों के व्यवहार में फेरबदल दर्ज किया गया जो इस कार्यक्रम में आए थे। इस प्रसंग का अच्छा पहलू यह था कि महिलाओं ने जरूरी मुद्दों पर सरकारी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया तथा उन्होंने अपनी जरूरत की जानकारी एकत्र की।

नेत्रंग

दक्षिण गुजरात के वसावा आदिवासियों के लिए रेडियो कार्यक्रम का आरंभ एक बड़ी सफलता बन रहा है। आदिवासियों के लिए यह कार्यक्रम एक मिसाल बन रहा है। इसका कारण है कि वे अपनी जानकारी की जरूरतें सफलता व स्वतंत्रतापूर्वक समझने लगे हैं, क्योंकि इसी जानकारी के बारे में कार्यक्रम बनाया जाता है। आदिवासी युवकों की रेडियो टुकड़ी विभिन्न गांवों में आदिवासियों से मिलती है और उनके विचार जानती है। इस टुकड़ी व इस कार्यक्रम को काफी अच्छा समर्थन मिला है।

प्रत्येक कार्यक्रम के बाद काफी बड़ी संख्या में फोन आते हैं जिससे यह साबित होता है। जानकारी देने के अलावा रेडियो कार्यक्रम ने लोगों में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'सारी ग्राम सभा' नामक एक नाटक लोगों ने स्वयं तैयार किया और शासन के मुद्दों पर इस तरह अभिव्यक्ति की। 'अंकुर किसान महामंडल' द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक साइकिल रैली आयोजित की गई। इसमें उन्होंने खेती के साधनों का ग्रंथालय उपयोग में लिया। यह ग्रंथालय ट्रैक्टर तथा अन्य साधन काफी कम कीमत पर आदिवासी किसानों को किराए पर देता है। इस यात्रा ने काफी जागृति फैलाई और गत वर्ष के मुकाबले साधनों के उपयोग में खासी बढ़ोतरी की। दक्षिण गुजरात में महिलाओं और किसानों के महामंडलों ने बचत अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप इस इलाके के अधिकांश समूहों में मासिक बचत बढ़ी। कुल मिला कर ग्रामीण विकास के लिए समर्थन स्थापित करने के लिए संचार साधनों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है और ऐसा माहौल पैदा करने के प्रयास किए गए हैं कि ग्रामीण गुजरात सूचनाप्रद निर्णय करे।

स्टालिन के. और जेसिका मेबेरी
दृष्टि मीडिया कलेक्टिव और वीडियो वालंटियर्स

वीडियोग्राफी को सामुदायिक संचार के माध्यम के रूप में उपयोग में लेने का प्रयास वीडियो वालंटियर्स द्वारा किया जाता है। समग्र भारत में पूर्णकालिक वीडियो प्रशिक्षक इस संस्था के अधीन काम करते हैं। उसका इरादा वैश्विक स्तर पर सामाजिक मीडिया नेटवर्क के साथ जोड़ना तथा गरीबों व सुदूर लोगों की आवाज स्थानीय व वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। लोग सामुदायिक वीडियो का उपयोग ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए करें, स्थानीय संस्कृति व व्यवहारों को समझें तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए करे, इस उद्देश्य से वीडियो का उपयोग संस्था द्वारा किया जाता है। जनवरी-२००६ तक विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के साथ ६ तालीमें आयोजित की गईं और इनमें १६ परियोजनाएं हाथ में ली गईं। इन गैर-सरकारी संगठनों ने वीडियो को एक साधन के रूप में अपने खुद के काम के लिए कई क्षेत्रों में उपयोग किया। विकासशील देशों में कम्युनिटी वीडियो यूनिट (सीवीयू) विकसित करने में इन दोनों संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्बद्ध गैर-सरकारी संगठन उनके क्षेत्र से ५ से १० सदस्यों का चयन करती है और उन्हें तालीम दी जाती है। फिर वे सामुदायिक वीडियो निर्माता के रूप में काम करते हैं। वे वीडियो मैगजीन के लिए अनुसंधान, शूटिंग, पटकथा लेखन, सम्पादन और वितरण का काम करते हैं। इस तरह यह वीडियो मैगजीन स्थानीय जन-माध्यम के रूप में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा ही एक उदाहरण यहां दिया गया है।

'स्नेह प्रजा वीडियो' नामक एक सामुदायिक वीडियो प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में 'वेलुगू' संगठन में किया गया था। अप्रैल-मई-२००५ के दौरान वीडियो वॉलंटियर्स द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं तथा समुदाय के लोगों को तालीम दी गई। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा लघु ऋण का जो कार्यक्रम लागू किया गया है उसकी भागीदारी में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग ६० लाख महिलाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य था कि हर माह एक जिले में लगभग ७५ हजार से १ लाख महिलाएं वीडियो देखें और जागरूक हों। इस कार्यक्रम को बाद में राज्य के सभी जिलों में चलाने को भी उद्देश्य था। इसका उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार संप्रेषण करना तथा तत्सम्बंधी माध्यम विकसित करना था और इसमें स्थानीय ज्ञान का उपयोग करना भी था। वीडियो वालंटियर्स की सहभागी संस्था के रूप में अहमदाबाद की दृष्टि संस्था ने इसमें तालीम देने का काम किया था।

आंध्र प्रदेश में ११ महिलाओं को मासिक वीडियो मैगजीन का

शूटिंग करने, मुलाकातें लेने और उसका लेखन कार्य करने के लिए तालीम दी गई। उनके अपने बाल विवाह हुए थे और 'वेलुगू' संस्था के लिए उन्हें तालीम दी गई। उन्होंने आधे घण्टे का वीडियो तैयार की जो बाल विवाह रोकने के कारणों का खुलासा करता था। 'वेलुंगू' के इस मासिक वीडियो मैगजीन में समुदाय की समस्याओं को शामिल किया गया है तथा हर माह १५० से अधिक गांवों में यह दिखाया जाता है और स्थानीय समस्याओं को हल करने का काम करता है। इन सामुदायिक वीडियो निर्माताओं का प्रथम सूत्र है कि हमारी समस्याओं पर बोलना उनके हल की ओर बढ़ने का प्रथम कदम है।

जिन ११ महिलाओं को तालीम दी गई, वे 'वेलुगू' द्वारा चलाए जाने वाले स्वयं सहायता समूहों की सदस्य थीं और मुश्किल से सातवीं कक्षा तक शिक्षित थीं। उन्हें सामुदायिक समाचार पत्र लिखने के लिए चुना गया था और फिर पांच सप्ताह की इस वीडियो तालीम के लिए चुना गया था। इस मासिक वीडियो में वृत्तचित्र, गीत, चर्चा, वार्ता, पत्र आदि सभी का समावेश किया गया था। हर माह इस पत्रिका में विभिन्न विषयों का समावेश किया जाता था। जैसे महिला-पुरुष भेदभाव, अंधविश्वास, बुवाई, मद्यपान और लघु ऋण की सफल कहानियां।

यह कार्यक्रम काफी प्रतिभावात्मक और द्विमार्गी था। लोग अपने प्रतिभाव देते थे, दलीलें करते थे, समस्याओं का हल दर्शाते, पत्रिका में कई कहानियों व समस्याओं को शामिल करने जैसे सुझाव भी देते। उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, यह भी बताते। एक महिला रिपोर्टर उसका सम्पादन करती। ऐसी ही एक महिला रिपोर्टर ने बाद में कहा अब तक महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता था और अब वह अभिव्यक्त हुई है।

तालीम के दौरान ही बाल विवाह के बारे में एक वीडियो मैगजीन तैयार हुई और दो गांवों में वह दिखाई गई। गांव के ही घर के बाहर की दीवार पर जब वह दिखाई गई तो लगभग १००० लोग एकत्र हुए। वीडियो मैगजीन दर्शाए जाने के बाद सभी लोग चर्चा करते देखे गए। कई लोगों ने अपने गांव के बाल विवाहों की कहानी का उसमें समावेश करने का आग्रह किया। किसी के पास समस्या का हल नहीं था परंतु सभी समस्या पर चर्चा करने लगे थे।

यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें समुदाय के सदस्य स्वयं उनके वीडियो मैगजीन का विवरण तय करे, उनकी अपनी कहानियां कहें तथा वही लोगों के समक्ष पेश हो और फिर उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया मांगी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः घरेलू हिंसा, जातिगत भेदभाव, स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकार व सरकार को किस तरह जिम्मेदार बनाया जाए जैसे विषयों पर चर्चा होती ही नहीं है। इस वीडियो मैगजीन ने इस बारे में गांव के लोगों में चर्चा की शुरूआत की, यह बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की चर्चा पंचायत व चुनाव की परिधि के बाहर होने लगी। इतना ही नहीं पंचायतों में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण होने के बावजूद पंचायतों में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कभी भी पंचायतों में नहीं होती थी। वीडियो मैगजीन के कारण अब यह समस्या सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी।

श्री संजय दवे
चरखा

संचार माध्यमों को लोकतंत्र का चौथा व महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। संचार माध्यम शब्द की शक्ति से जनमत बनाने का काम करते हैं। शब्दों में अनूठी शक्ति है, यह हम सभी कहीं न कहीं महसूस करते हैं। इसीलिए विकासलक्ष्यी मुद्दों व प्रयासों को वाणी देने के लिए हमें संचार माध्यम के साथ नाता रखना ही होगा। कोई एक क्षेत्र में हुए किसी एक उल्लेखनीय कार्य व प्रयास के बारे में मुख्य धारा के किसी अखबार में आलेखन हो, तो वह अन्य अनेक लोगों को ऐसा उम्दा कार्य करने की प्रेरणा दे सकता है। हम एक विकासलक्ष्यी कार्यकर्ता के रूप में इसके लिए दो तरह से महत्वपूर्ण निभा सकते हैं।

(१) किसी विकासलक्ष्यी मुद्दे या प्रयास के बारे में अनुभव के आधार पर स्वयं ही आलेखन कर उस लेख को मुख्य धारा के अखबार में प्रकाशित कराना।

(२) किसी अखबार के सम्पादक या पत्रकार से सीधा सम्पर्क कर

किसी मुद्दे या प्रयास के बारे में उनके द्वारा लेख लिखवाया जा सकता है।

उपरोक्त दोनों तरीकों में कोई भी तरीका आजमाएं तो निम्न कुछ बातों को ध्यान में लेने से हम संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर सकेंगे।

(१) किसी भी अखबार को किसी व्यक्ति के प्रतिभाव या विचार मात्र में दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सच्ची घटना या सच्चे उदाहरण देकर उनके साथ प्रस्तुत विचार प्रकाशित करने में अधिक दिलचस्पी होती है। पाठक को ठोस उदाहरणों से दी गई बात अच्छी तरह समझ में आती है।

(२) कोई भी लेख में आंकड़े या किसी संशोधन के निष्कर्षों का उल्लेख किया जाए तो उसका स्रोत निश्चित रूप से लिखना चाहिए। स्रोत लिखने से लेख की विश्वसनीयता बढ़ेगी और प्रकाशन की संभावना भी बढ़ जाएगी।

(३) अखबार को भेजे गए लेख की एक प्रति हमारे पास अचूक रखनी चाहिए। इसके अलावा लेख भेजने से पहले उसे एक बार अवश्य पढ़ लें।

(४) किसी भी मुद्दे या प्रयास को समूह माध्यमों में वाणी देने के लिए बार-बार प्रयत्न करना पड़ता है। विकासलक्ष्यी मुद्दों को मीडिया में स्थान दिलाने के लिए आशावादी रवैया, उत्साह और धीरज रख कर प्रयत्न करने चाहिए।

(५) हमारे प्रयासों से लिखा या सुझाया गया लेख प्रकाशित हो तो प्रकाशित करने वाले पत्रकार अथवा अखबार में हम जिन्हें जानते हैं, उस पत्रकार को फोन कर आभार व्यक्त करना चाहिए। हम पत्र लिख कर भी उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। ऐसा करने से सम्बद्ध पत्रकार विकासलक्ष्यी आलेखन करने को अधिक प्रोत्साहित होगा और भविष्य में ऐसे लेख प्रकाशित करवाने के लिए वह आपसे सम्पर्क करने का प्रयास करेगा।

अत्याचार का शिकार बने दलित युवक की मदद

अहमदाबाद जिले की धोळका तहसील में चलोडा गांव स्थित है। सामान्यतः प्रत्येक गांव में जब ग्राम सभा होती है तब ग्रामीण जन उनके विकास से जुड़ी समस्याएं पेश करते हैं। इसी तरह इस गांव में नित्यक्रमानुसार ग्राम सभा हुई तो वणकर वास की विविध समस्याओं पर सम्बद्ध कस्बे के दलित युवक अजीतभाई ने शिकायत की।

इस वास में ५०० से ६०० घरों के बीच एक बोरवेल था। इतना ही नहीं उसकी मोटर बिगड़ जाने पर लोगों को अन्य कस्बों या खेतों में पानी भरने जाना पड़ता था। इस समस्या के हल के लिए दलित युवक ने पहली बार समस्या रखी।

इस प्रस्तुतिकरण का उस पर विपरीत असर हुआ। इसी गांव की कथित ऊंची जाति के लोगों के समक्ष शिकायत करने के कारण कुछ ही दिन बाद इस युवक को गांव की ही महिला सरपंच कंकूबेन के पति ने लात घूसों से बुरी तरह पीटा। उसे ग्राम सभा में फरियाद वापस लेने के लिए कई बार कई तरह की धमकियां भी दी गईं।

पुलिस ने अजीतभाई की फरियाद नहीं सुनी तो उन्होंने न्यायिक दंडाधिकार के समक्ष फरियाद दर्ज़ कराई। इसके बावजूद छः माह तक दलित युवक को न्याय नहीं मिला। घटना की जानकारी उन्नति के धोळका स्थित पंचायत संदर्भ केन्द्र की मार्फत 'चरखा' को हुई।

इस समस्या को उठाने के लिए मुख्य धारा के अखबारों में जानकारी दी गई। संदेश दैनिक के पत्रकार ने दिलचस्पी दिखाते हुए समाचार प्रकाशित किया। परिणामतः अत्याचारी तत्वों की आंख खुली और दलित कस्बे के लोगों में आत्मविश्वास आया। दलितों पर अत्याचार या भेदभाव करने वाले लोगों में डर बैठा।

यहां सकारात्मक प्रभावों के बारे में भी 'संदेश' में पुनः आलेखन किया गया। इससे अत्याचार के शिकार युवक में आत्मविश्वास का संचार हुआ और उसमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस बढ़ा।

(६) प्रकाशित लेख में यदि कोई सूचना दोष रह गया हो तो भी हम उस ओर सम्बद्ध पत्रकार का विनम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण करवा सकते हैं।

(७) पत्रकार मित्रों को विकासलक्ष्यी मुद्दों के बारे में आलेखन करने के नए-नए विषय बताते रहें। ऐसा करने से परस्पर घनिष्ठ सम्बंध बने रहते हैं और अधिक विकासलक्ष्यी प्रयासों को हमारी वाणी दिलवा सकते हैं।

(८) किसी एक विषय के बारे में हमारे प्रयासों से अखबार में कुछ प्रकाशित हुआ हो और उसका व्यापक प्रभाव पड़ा हो अथवा स्थिति में बदलाव आया हो, तो उस बारे में भी सम्बद्ध पत्रकार को जानकारी देनी चाहिए। ऐसा करने से बदलाव की बात भी अखबार में प्रकाशित हो सकती है। परिणामतः विकास के हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। इस बारे में यहां दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट होगा।

(९) सम्पादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित होने की अपेक्षा रखने की बजाए अपनी बात प्रयास या विचार समाचार के रूप में प्रकाशित हो तो व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचेगा क्योंकि सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेखों को एक निश्चित वर्ग के पाठक ही पढ़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी तक व्यापक रूप से पहुंचने के लिए समाचार ही श्रेष्ठ माध्यम बन सकते हैं।

(१०) हमारे पास कोई ठोस बात, विषय या मुद्दा हो तभी पत्रकार परिषद् बुलानी चाहिए। खास तो यह ध्यान रखें कि हम जो पेश करना चाहते हैं उन मुद्दों में न्यूज वैल्यू (समाचार का तत्व) हो।

अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अखबार या टीवी चैनल में विकासलक्ष्यी मुद्दा उजागर करने के लिए पर्याप्त तैयारी, पर्याप्त सामग्री और संनिष्ठ प्रयास का संयोजन जरूरी है। इसके अलावा नियमित रूप से पत्रकारों के साथ सम्पर्क में रह कर संवाद बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

सम्पर्कः

१. सुश्री ममता जेटली
सचिव,
विविधा - महिला आलेखन एवं संदर्भ केन्द्र,
३३५, महावीरनगर-२, महाराणी फार्म, दुर्गापुरा,
जयपुर - ३०२०१८
ई-मेलः vividha_2001@yahoo.com

२. सुश्री लक्ष्मी मूर्ति
संस्थापक
विकल्प डिजाइन,
२१४, पंचरत्न कॉम्प्लेक्स, बेडला रोड,
उदयपुर - ३१३००४, राजस्थान
फोनः ०२९४-२४५१४११
ई-मेलः lakshmi@vikalpdesign.com
वेबसाइटः www.vikalpdesign.com

२. श्री अपूर्व ओझा
निदेशक,
ए.के.आर.एस.पी.,
९०२, कर्मा कॉम्प्लेक्स,
महालक्ष्मी म्युनिसिपल मार्केट के सामने, पालडी,
अहमदाबाद - ३८०००७, गुजरात
ई-मेलः apoorva@akrspi.org

४. श्री स्टालिन के.
दृष्टि मीडिया कलेक्टिव
५०३, अवधेश हाउस, गुरुद्वारा के सामने,
थलतेज, अहमदाबाद
ई-मेलः drishtiad1@gmail.com

५. सुश्री जेसिका मेबेरी
वीडियो वॉल्युंटियर्स
ई-मेलः jessica@videovolunteers.org,
info@videovolunteers.org

६. श्री संजय दवे
चरखा
७०२, साकार-४, एम. जे. लाइब्रेरी के सामने,
आश्रम रोड, अहमदाबाद - ३८० ००६

आईसीडीएस के बारे में उच्चतम न्यायालय का फैसला

समन्वित बाल विकास योजना बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करने वाली माताओं को पूरक पोषण देने सहित स्वास्थ्य संवर्धन की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को व्यापक व सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों पर दबाव लाने सम्बंधी एक अर्जी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई। इस अर्जी के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश हाल ही में दिया है उसका विवरण यहां **श्री हेमंतकुमार शाह** द्वारा दिया गया है।

प्रस्तावना

पीयूसीएल द्वारा जो रिट पिटिशन २००१ में की गई थी उसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया और आईसीडीएस (समन्वित बाल विकास योजना) को व्यापक बनाने के लिए कहा। इस आदेश में दो मुद्दे शामिल थेः (१) प्रत्येक बस्ती में एक चालू आंगनबाड़ी होनी चाहिए। (२) आईसीडीएस सेवाओं का विस्तार छः वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों, सभी गर्भवती महिलाओं या तमाम स्तनपान कराने वाली महिलाओं और सभी किशोरियों तक करना चाहिए।

आयुक्तों की रिपोर्ट

इस आदेश का २९ अप्रेल, २००४ और ७ अक्टूबर, २००४ को पुनरोच्चार किया गया तथा और आदेश जारी किए गए। इस संदर्भ में इस मामले को लेकर नियुक्त आयुक्त डॉ. एन. सी. सक्सेना एवं विशेष आयुक्त हर्ष मंदर द्वारा उच्चतम न्यायालय को १९ जुलाई, २००६ को एक रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें जो जानकारियां दी गई हैं, उसके अनुसार समग्र देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में २,०२,२७६ तथा अन्य क्षेत्रों में १२,१९,१३० आंगनबाड़ियों की जरूरत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में २,९७,०२३ आंगनबाड़ियों की जरूरत है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो जानकारियां इस बारे में दी हैं उनमें गुजरात तथा राजस्थान के बारे में निष्कर्षित सारिणी दी गई है। आयुक्तों ने अपनी रिपोर्ट में २००१ की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रख कर आंगनबाड़ी स्थापित करने के सरकारी मानदंडों के अनुसार कुछ आंगनबाड़ियों की जरूरत आंकी है। इस रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को की गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

१. इस बात पर जोर दिया जाए कि १४ लाख आंगनबाड़ियों की जरूरत है। वर्तमान मानदंडों के अनुसार आईसीडीएस को व्यापक बनाने के लिए कम से कम इतनी आंगनबाड़ियां तो चाहिए ही।
२. भारत सरकार को आदेश दें कि तीन वर्ष में आंगनबाड़ियों की संख्या १४ लाख हो।
३. भारत सरकार को आंगनबाड़ी के स्थान पर आंगनबाड़ी स्थापित करने के लिए नए मानदंड बनाने का आदेश दिया जाए। इसके लिए वे इन आयुक्तों के साथ परामर्श करें। संशोधित मानदंडों को व्यापकीकरण के साथ इस अर्थ में सुसंगत करना चाहिए कि वे मानदंड इस तरह लागू हों, जिससे सभी बच्चों व सभी महिलाओं को आंगनबाड़ी की सुविधा उपलब्ध हो।
४. आईसीडीएस के व्यापकीकरण का अर्थ है कि इस योजना के तहत जो सेवाएं दी जाती हैं, वे तमाम सेवाएं छः वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों, सभी गर्भवती महिलाओं, सभी स्तनपान कराने वाली महिलाओं और सभी किशोरियों को प्राप्त हो;

आईसीडीएस को व्यापक बनाने के लिए जरूरी आंगनबाड़ियां

संख्या	गुजरात	राजस्थान
१. आदिवासियों की अधिक आबादी वाली ग्रामीण बस्तियों में	१४,१३६	१४,०८६
२. अन्य ग्रामीण बस्तियों में	३७,८५४	६९,६६१
३. शहरी क्षेत्रों में	१९,७०५	१३,८६०
कुल	**७१,६९५**	**९७,६०७**

मात्र पूरक पोषण की सेवा मात्र नहीं हो।

५. तमाम राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया जाए कि वे उच्चतम न्यायालय में हलफनामा पेश करें जिसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बहुमतोवाली तमाम बस्तियों की, उनमें स्थित आंगनबाड़ियों की संख्या और दो वर्ष की अवधि में उन तमाम बस्तियों में आंगनबाड़ियां काम करने लगें, उस बारे में एक कार्यलक्ष्यी योजना का विवरण हो।

६. ७ अक्टूबर, २००४ को उच्चतम न्यायालय ने जो अंतरिम आदेश दिया, उसमें कहा गया था कि आंगनबाड़ियों में पोषण की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग न किया जाए तथा ग्रामीण समुदायों, स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों का उपयोग कर अनाज खरीदा जाए तथा भोजन तैयार किया जाए। तमाम राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव उठाए गए कदमों के बारे में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा पेश करें। मुख्य सचिवों को स्थानीय समुदायों द्वारा विकेन्द्रित ढंग से एसएनपी की आपूर्ति की जाए, इस बारे में समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय का आदेश

उपरोक्त रिपोर्ट के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के १३ दिसम्बर, २००६ के आदेश में निम्न मुद्दे शामिल हैं:

(१) भारत सरकार चरणबद्ध ढंग से कम से कम १४ लाख आंगनबाड़ी केन्द्र मंजूर करेगी और चलाएगी। यह काम उसे दिसम्बर-२००५ तक पूरा करना होगा। ऐसा करने में केन्द्र सरकार को आदिवासियों व दलित बस्तियों को पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देनी होगी।

(२) भारत सरकार को ध्यान रखना होगा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना के लिए जिस बस्ती का मानदंड तैयार किया गया है, वह किसी भी स्थिति में ऊंचा न ले जाया जाए। हर एक हजार की बस्ती में एक आंगनबाड़ी हो, ऐसी उच्च शीर्ष मर्यादा बनाए रख कर ३०० की बस्ती पर नया आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाए, ऐसी न्यूनतम मर्यादा भी ध्यान में रखनी चाहिए।

(३) ६ वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों, सभी गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों को समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत सभी सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इन सेवाओं में पूरक पोषण, बाल विकास पर देखरेख, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, रेफरल एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा आदि शामिल हों।

(४) तमाम राज्य सरकारें व केन्द्र शासित प्रदेश समन्वित बाल विकास योजना का पूरी तरह से अमल करेंगे। इसमें इन मुद्दों को ध्यान में लिया जाएगा:

(१) पूरक पोषण के लिए प्रति बालक दैनिक कम से कम २ रुपए खर्च किए जाएंगे और उतना आवंटन किया जाएगा तथा इसमें प्रति बालक दैनिक १ रुपए का योगदान केन्द्र सरकार देगी।

(२) सर्वाधिक कुपोषण वाले प्रति बालक पूरक पोषण के लिए दैनिक कम से कम २.७० रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसमें केन्द्र सरकार का योगदान प्रति बालक १.३५ रुपए होगा।

(३) प्रत्येक किशोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला के पूरक पोषण के लिए २.३० रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें केन्द्र का योगदान १.१५ रुपए होगा।

(५) बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर खुलासा करेंगे कि आईसीडीएस के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए अदालत के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जाता।

(६) तमाम राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह हलफनामा पेश करने का आदेश दिया जाता है जिसमें ये विवरण हो: अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों की बस्तियाँ, उन बस्तियों में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र वह कार्यलक्ष्यी योजना जिससे दो वर्ष में इन तमाम बस्तियों में आंगनबाड़ी केन्द्र काम करने लगें।

(७) सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस अदालत के ७ अक्टूबर, २००४ के आदेश के संदर्भ

शेष पृष्ठ 29 पर

लघु ऋण और संयुक्त बीमा सम्बंधी पाठ्यक्रम

लघु ऋण तथा संयुक्त बीमा सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं अधिक सक्षम रूप से चलें तो गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और सुरक्षा की संभावनाएं बढ़ती हैं। परिणामतः अनेक गैर-सरकारी संगठन बचत व ऋण की गतिविधियां करती हैं। साथ ही साथ गरीबों के लिए बीमे में की व्यवस्था करती हैं। इस कार्य के लिए कुशल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। इसलिए उनके लिए तालीम की भी जरूरत है। ऐसी तालीम मदुरै की टाटा-धन अकादमी द्वारा दी जाती है। इस बारे में विवरण यहां दिया गया है।

टाटा-धन अकादमी क्या है?

टाटा-धन अकादमी की स्थापना 'धन फाउंडेशन' और सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई द्वारा हुई है। यह विकास संचालन के बारे में २३ माह का अध्ययन कार्यक्रम चलाता है और उसका इरादा युवा स्नातकों को विकास के क्षेत्र में कार्यकर्ता तैयार करना है। इस कार्यक्रम का नाम पीडीएम है। अब तक इस कार्यक्रम के पांच बैच तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा यह संस्था विकास संचालन के लिए अल्पावधि के कार्यक्रम भी चलाती है। इसमें निम्न कार्यक्रम शामिल हैं:

(१) डेवलपमेंट मैनेजमेंट अपस्केलिंग एप्रिसिएशन प्रोग्राम (डीएमएपी)।
(२) आर्ट ऑफ अपस्केलिंग माइक्रोफाइनान्स (एआरटी)।
(३) सोशल डेवलपमेंट रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग (एसडीआरसी)।
(४) लीडरशिप एज्युकेशन इन एडवांसिंग डेवलपमेंट (एलईएडी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास क्षेत्र को पेशेवर बनाना और खासकर गैर-सरकारी संगठनों को पेशेवर बनाना है जिससे उनकी कार्यक्षमता व प्रभाविकता बढ़े।

आस्कमी क्या है?

टाटा-धन अकादमी द्वारा इस केन्द्र की स्थापना लघु बीमा विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका मुख्य कार्य अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण तथा शिक्षा द्वारा क्षमतावर्धन, नीतिगत हिमायत और कर्मशीलों के बीच के नेटवर्किंग का है। आस्कमी का पूरा नाम है:एशियन नॉलेज सेंटर फॉर म्यच्युअल इंश्योरेंस। इस केन्द्र द्वारा चलाए जाने वाले दो कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

१. आर्ट ऑफ अपस्केलिंग माइक्रोफाइनान्स

यह कार्यक्रम लघु ऋण संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, विकासलक्ष्यी वित्त संस्थाओं व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए चलता है। यह कार्यक्रम ११ दिन का होता है। इसमें तीन विषयों को शामिल किया जाता है:

(१) लघु ऋण की व्यापकता बढ़ाना। (२) गरीबी में कमी के लिए लघु ऋण। (३) विकासलक्ष्यी ऋण के रूप में लघु ऋण।

इस कार्यक्रम का शुल्क भारतीय विद्यार्थियों के लिए ८००० रुपए है। इसमें ट्यूशन फीस, शिक्षण सामग्री, निवास-भोजन, क्षेत्रीय भ्रमण, ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन का समावेश होता है।

२. संयुक्त बीमा (म्युच्युअल इंश्योरेंस)

यह कार्यक्रम लघु ऋण संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दाताओं, सार्वजनिक व निजी बीमा कम्पनियों, व्यापारी व विकासलक्ष्यी बैंकों, सरकारों, द्विपक्षीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए है। यह कार्यक्रम छः दिन का होता है। इसमें निम्न ४ मॉड्यूल शामिल हैं: (१) गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा। (२) कामकाज के साधन और पद्धतियां। (३) संयुक्त बीमा। (४) पॉलिसी विकास।

इस कार्यक्रम का शुल्क १००० डॉलर है। इसमें ट्यूशन फीस, तालीम-सामग्री, निवास-भोजन, क्षेत्रीय भ्रमण तथा ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन का समावेश होता है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:एएसकेएमआई, टाटा-धन अकादमी, ब्वॉइज टाउन कैम्पस, पुलुथू, मदुरै-६२८०१६, तमिलनाडु, भारत। फोन नं. ०४५२-२४७५२१९, २४७५३१८, फैक्सः ०४५२-२६०२२४७. ई-मेलः info@askmi.in

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

हर वर्ष राजस्थान और गुजरात में 'उन्नति' - विकास शिक्षा संगठन तथा स्थानीय सहयोगी संस्थाएं ८ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाती हैं। इसका उद्देश्य दलित संदर्भ केन्द्रों को अधिक दृश्यमान बनाना है तथा साथ ही पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए अधिक कार्यक्षम बनाना है। यहां अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोहों की रिपोर्ट दी गई है।

'उन्नति' द्वारा सम्मेलन

'उन्नति - विकास शिक्षा संगठन', जोधपुर द्वारा पिछले पांच वर्षों से पंचायतों की महिला प्रतिनिधियों के एक जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर किया जाता है। इस वर्ष जोधपुर की १० स्वैच्छिक संस्थाएं भी इस सम्मेलन में शामिल हुईं। लगभग ८०० महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों में आत्मविश्वास पैदा करना तथा उनकी समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाना और स्वशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना था। सम्मेलन का संचालन सुश्री शम्पा बटब्याल ने किया।

सुश्री पेपकंवर ने सम्मेलन में उपस्थितों का स्वागत किया और कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट किया। सुश्री रेखा वैष्णव ने सहभागियों का परिचय कराया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की पृष्ठभूमि समझाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकारों और आजादी एवं समान सहभागिता के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने उन्नति के उद्देश्यों व कामकाज के बारे में भी जानकारी दी।

मंडोर तहसील पंचायत की सदस्य सुश्री अरुणा चौधरी ने कहा कि १०० दिन पुरुषों के हैं परंतु काफी संघर्ष के बाद एक दिन महिलाओं को मिला है। अतः यहां उपस्थित तमाम महिलाओं को संकल्प करना चाहिए कि हम बाल विवाह नहीं होने देंगे और कन्या भ्रूण हत्या भी नहीं होने देंगे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सभी महिला प्रतिनिधियों को आगे आकर काम करना पड़ेगा। युवा शक्ति संगठन द्वारा लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि करने के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया गया। इससे सीख मिली थी कि लड़कियों को काफी पढ़ा-लिखा कर आज के समाज में आगे लाना चाहिए।

मानवाधिकार मार्गदर्शन समिति की सुश्री मनोरमाजी ने यौन शोषण के खिलाफ उपाय बताए। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सम्बंधित उच्चाधिकारियों के समक्ष शिकायत करनी चाहिए और गैर-सरकारी संगठनों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। मारवाड़ वुमन वेलफेयर सोसायटी की सुश्री रशीदाबानो ने घरेलू हिंसा रोकने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले यह उत्सव नहीं मनाया जाता था, परंतु जैसे-जैसे महिलाओं में जागृति आती गई, इस उत्सव का आयोजन बढ़ता गया। घरेलू हिंसा रोकने के लिए १६ अक्टूबर, २००६ को एक कानून बनाया गया है। उन्होंने इस बारे में उपस्थित महिलाओं का मार्गदर्शन किया।

दिल्ली की 'प्रिया' संस्था की सुश्री तूलिकाजी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आज महिला दिवस और बाकी के सभी दिन पुरुषों के दिन

हैं। सभी दिन दोनों के हैं। महिलाएं पिछड़ी हैं, इसीलिए यह दिवस उनके द्वारा मनाया जाता है। समाज ने लोगों को महिलाओं व पुरुषों के दो वर्गों में बांट दिया है। अतः सभी अधिकार, पैसा और पद पुरुष के पास हैं तथा महिलाओं के पास घर की जिम्मेदारी है। यह भेदभाव तभी दूर किया जा सकेगा, जब यह मानसिकता स्थापित की जाए महिलाएं व पुरुष समान हैं। महिलाओं के पास भी वही अधिकार होने चाहिए जो पुरुषों के पास हैं। कार्यक्रम के बीच-बीच में बीकानेर से आई एक टुकड़ी ने मनोरंजन के लिए गीत-नाटक पेश किए। इसमें कन्या भ्रूण हत्या तथा पंचायती राज पर गीत शामिल थे।

जोधपुर जिले के विभागीय आयुक्त और जिला अध्यक्ष भी कार्यक्रम में आए थे। समारोह की मुख्य अतिथि विभागीय आयुक्त सुश्री मतिकिरण सोनीगुप्ता ने ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं से कहा कि भारत के संविधान में महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के समकक्ष दर्जा दिया गया है। महिलाओं को कभी भी स्वयं को असहाय नहीं समझना चाहिए। भारतीय ग्रंथों में लिखा है कि नारी की पूजा करनी चाहिए, परंतु उसे पूजा के साथ-साथ सम्मान की जरूरत है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है, वह समाज कभी पिछड़ता नहीं है। समाज में परिवर्तन लाना हो तो महिलाओं को अपने विचार बदलने चाहिए। परिवर्तन के लिए पुरुष, घर व समाज के सहयोग की जरूरत है। आज शासन-प्रशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, परंतु महिलाएं पिछड़ी हैं जिससे विकास के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है।

कार्यक्रम की अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्ष सुश्री अमिता चौधरी ने कहा कि पंचायतों में दिए गए आरक्षण का लाभ लेकर महिलाओं को विकास के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। होपारडी की सरपंच सुश्री दमयंती पालीवाल ने कहा कि महिलाओं को जागरूक बनने के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। यदि सभी सरपंच व सदस्य एक-एक महिला पर ध्यान दें तो भी देश की उन्नति संभव है। आज राजस्थान में सभी उच्च पदों पर महिलाएं हैं, फिर भी महिलाओं में शिक्षा की मात्रा कम है। हमें सावधान रह कर काम करने की जरूरत है।

जोधपुर जिले के जो सरपंच, पंचायत सदस्य, तहसील पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हाजिर थे उनमें १० महिला प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने अनुभव व्यक्त किए। महिला विशेषज्ञ के रूप में सुश्री गंगा गुप्ता व सुश्री कमला रंगा ने महिलाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए शिक्षा प्राप्त करने पर तथा स्वयं को कमजोर न समझने पर जोर दिया तथा कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा।

उन्नति के श्री जगदीश सिंह ने सभी अतिथियों का आभार माना और कार्यक्रम समापन के बाद सभी कलक्टर कार्यालय गए और विभागीय आयुक्त को महिलाओं से सम्बंधित समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया।

वसुंधरा सेवा समिति द्वारा महिला उत्सव

'वसुंधरा सेवा समिति' और 'दलित संदर्भ केन्द्र', कल्याणपुर, राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सुबह १० से सायं ६ बजे तक महिला उत्सव का आयोजन मारवाड़ में किया गया। उत्सव में १७ गांवों की १५७ महिलाओं, ५१ पुरुषों और ६३ बच्चों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष सुश्री वनीता सेठ उपस्थित रहीं। वसुंधरा सेवा समिति की सचिव तथा 'दलित संदर्भ केन्द्र' के कार्यकर्ता श्री पी. आर. बारुपाल ने स्वागत किया तथा महिला उत्सव के आयोजन के उद्देश्यों का निम्नानुसार वर्णन किया:

१. ग्रामीण क्षेत्र में विकास के बारे में काम करने वाली महिलाएं

अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

२. महिलाओं से सम्बंधित विविध सरकारी योजनाओं व कानूनों के बारे में जानकारी देना।

३. महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ना तथा उनमें आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक व राजनीतिक जागृति लाना।

४. ग्रामीण महिला प्रतिनिधि परस्पर जानकारी प्राप्त करें और एक ही मंच पर आकर संगठित बनें।

५. सामाजिक विकास में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

मुख्य अतिथि सुश्री वनीता सेठ ने महिलाओं को शिक्षित बनकर संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। विशेष अतिथि राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य सुश्री सरला डोडीदार ने बोर्ड द्वारा लागू जननी सुरक्षा योजना जैसी विविध योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा, बाल पालनहार, शिशु पालनहार आदि के बारे में विस्तार से बताया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए जैसलमेर तहसील पंचायत की उपाध्यश्र सुश्री ओमकंवरजी ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया तथा आह्वान किया कि ग्राम सभा में आकर महिलाएं शासन में भागीदार हों। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए जमीन के पंजीकरण में महिला के मालिक होने पर पंजीकरण शुल्क में ५० प्रतिशत राहत दी है, जबकि इंदिरा आवास योजना में भी निर्माणाधीन मकान भी महिला की मालिकी का बनता है। पंचायतों की महिला प्रतिनिधियों ने भी इस उत्सव में सम्बोधन किया। बागावास से आई सुश्री सुशीलाबेन ने कहा कि पुरुष शराब का नशा करके महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। इसलिए दिन-प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। शराब के नशे के कारण बच्चों की शिक्षा भी नहीं होती। इसलिए यदि महिलाएं संगठित होकर ठेका प्रथा का विरोध करें तो गांवों में चल रही छोटी-मोटी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इस महिला उत्सव में निम्नानुसार कार्यलक्ष्यी योजना बनाई गई:

१. जिन गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव होता हो उसे दूर करने का प्रयास करना।

२. आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची बनाना।

३. स्वास्थ्य व पेयजल व्यवस्था के बारे में ग्राम संगठनों के साथ मिल कर कार्यलक्ष्यी योजना बनाना और सरकारी विभागों को पत्र लिखना।

४. प्रत्येक गांव में महिला बैठकें आयोजित करना।

५. प्रत्येक गांव में महिला संगठन बनाना और हर माह उसकी बैठकें करना।

'आइडिया' द्वारा आयोजित महिला उत्सव

२००४ से 'आइडिया' द्वारा हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी ओक्सफाम इंडिया ट्रस्ट, अहमदाबाद के सहयोग से महिला उत्सव आयोजित किया गया। इसके उद्देश्य इस प्रकार थे:

१. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पृष्ठभूमि और उसके महत्व के बारे में जानकारी देना तथा जागरूकता बढ़ाना।

२. महिलाओं की चिंताजनक स्थिति के प्रति महिला प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाना।

३. महिला नेताओं की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र खासकर महिलाओं की समस्याओं को लेकर क्या है, उसे स्पष्ट करनाा।

इस महिला उत्सव में बाड़मेर जिले की लगभग ५०० महिलाओं ने भाग लिया। इसका उद्घाटन बालोतरा की नगर पालिका की अध्यक्ष सुश्री प्रभा सिंघवी ने किया। इसमें अतिथि विशेष के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यकारी सुश्री इंदिरा चारण, राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति विकास निगम के सदस्य बाबूलाल नामा और बामसीन ग्राम पंचायत की सरपंच सुश्री मोहिनी देवी गर्ग उपस्थित थी। सुश्री प्रभा सिंघवी ने कहा कि भारत में नारी को पूजनीय माना जाता है और स्वतंत्र भारत में उन्हें अनेक अधिकार दिए गए हैं, परंतु महिलाओं में शिक्षा व जागृति का अभाव है और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव है। आज महिलाओं की जैसी मानसिकता है उससे महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन रही हैं।

समाज में पढ़ी-लिखी महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिचितों व अपने समाज में शिक्षा का महत्व समझाए तथा महिलाओं

में शिक्षा बढ़ाने का प्रयत्न करे। हाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में महिलाएं भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या में सबसे अधिक भूमिका महिलाएं ही निभाती हैं अर्थात् महिलाओं को ही मानसिकता बदलनी होगी।

श्री बाबूलाल नामा ने 'आइडिया' द्वारा हो रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि महिलाओं को संघर्ष करने की जरूरत है और अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने की जरूरत है। पुरुषों को भी महिलाओं के प्रति रवैया बदलने की जरूरत है। 'दलित संदर्भ केन्द्र' की सुश्री राधा देवी ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है और इसीलिए महिलाओं को अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के निवारण के लिए अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है। संगठन के माध्यम से ही अधिकार प्राप्त किए जा सकेंगे। महिला उत्सव के अंत में एक ज्ञापन राजस्थान की मुख्यमंत्री को उपखंड अधिकारी द्वारा दिया गया। इस ज्ञापन में निम्नानुसार मांगें पेश की गईं:

१. प्रत्येक पुलिस थाने व पुलिस चौकी में दो महिला कॉन्स्टेबल तो हों ही।
२. प्रशासन को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए और इसके लिए जरूरी कानून बनाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की मदद ली जाए।
३. ऐसा आदेश जारी किया जाए कि हर वर्ष ग्राम पंचायत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाए।
४. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए।
५. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकारी व निजी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की छूट दी जाए।
६. महिलाओं के प्रति अत्याचारों के जो मामले लम्बित हैं उनके लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएं।
७. राष्ट्रीय पोषक आहार कार्यक्रम में दलित महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव खत्म किए जाएं।

महिला उत्सव के अंत में निम्नानुसार कार्यलक्ष्यी योजना बनाई गई:

१. आगामी महिला उत्सव दो दिन का होगा।
२. महिलाओं की समस्याओं पर ७ मार्च को प्रशासन के साथ संवाद होगा और उसी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा।
३. दूसरे दिन ८ मार्च को नियमित कार्यक्रम आयोजित होंगे।

शेरगढ़ में महिला मेला

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 'जय भीम इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एज्युकेशन' तथा 'महिला अधिकार मंच' द्वारा शेरगढ़ तहसील में एक महिला मेला आयोजित किया गया। मेले के उद्देश्य निम्नानुसार थे:

१. महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना।
२. महिलाओं में एकता की भावना पैदा करना।
३. महिलाओं के संगठनों को मजबूत करना।
४. महिलाओं पर अत्याचारों व उनके प्रति भेदभावों के खिलाफ आवाज उठाना।
५. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता लाना।

कार्यक्रम सुबह नौ बजे शुरू हुआ और शाम तक चला। इस कार्यक्रम में जोधपुर शहर के विविध लायंस क्लबों, जोधपुर की मरुधर गंगा सोसायटी, जोधपुर की ग्रामीण विज्ञान विकास सर्मिति, शेरगढ़ की एसडीएम, जोधपुर की उन्नति, दिल्ली के दलित फाउंडेशन और सिंधरी की प्रयास संस्था के प्रतिनिधियों तथा कनाडा के अनुसंधानकर्ता व लेखक मिशेल ने विशेषज्ञ के रूप में शिरकत की। महिला मेले का उद्घाटन ग्रामीण विज्ञान विकास समिति की सुश्री शशि त्यागी ने किया। 'जय भीम इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एज्यूकेशन' की सचिव सुश्री प्रेमलता राठौड़ ने संगठन के बारे में व्याख्यान दिया और भीमराव अम्बेडकर के महिलाओं के अधिकारों

के बारे में योगदान पर जानकारी दी।

घरेलू हिंसा के बारे में जसु देवी, पाणी देवी, चेनी देवी और शांति देवी ने एक नाटक का मंचन किया। उन्होंने बाल विवाह के बारे में भी एक नाटक का मंचन किया। इतना ही नहीं दलित महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का इस अवसर पर सम्मान किया गया। इंद्रा देवी, चेनी देवी और पाणी देवी जैसी स्थानीय महिला नेताओं ने घरेलू हिंसा के बारे में किस्से सुनाए। चेनी देवीने बताया कि उस पर ठाकुर के लड़कों ने बलात्कार का प्रयास किया था, परंतु वह किस तरह बच निकल गई और फरियाद की तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। पाणी देवी ने भी अपने अनुभव सुनाए।

लायंस क्लब की सुश्री संजू परिहार ने कहा कि अब समय बदल गया है। शहरों में महिलाएं अनेक तरह के अधिकार व सत्ता रखती हैं और वे अपने पति या अन्य रिश्तेदारों की गुलाम बन कर नहीं रहतीं। गांव की स्थिति अलग क्यों है। इस कार्यक्रम से सहभागियों को निम्नांकित बातें सीखने को मिलीं:

१. जो व्यक्ति कुछ करने का निश्चय कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
२. दलित अधिकार मंच मानसिक व शारीरिक शोषण तथा भेदभावों व अत्याचारों के खिलाफ लड़ता है।
३. कन्या भ्रूण हत्या व बाल विवाह रोकने चाहिए।
४. एकता में ही शक्ति निहित है।

इस मेले से संगठन को निम्न बातें सीखने को मिलीं:

१. इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से होने चाहिए।
२. महिलाएं प्रतिभाशाली हैं और यदि उन्हें अवसर दिए जाएं तो वे यह बात साबित कर सकती हैं।
३. ऐसा लगता है कि महिलाएं इकट्ठा और संगठित हुई हैं।

ग्राम्य विकास ट्रस्ट द्वारा महिला दिवस समारोह

जामनगर जिले के ओखामंडल तथा कल्याणपुर तालुका में महिलाओं के विकास के लिए काम करने वाली संस्था 'ग्राम्य विकास ट्रस्ट' द्वारा ८ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में दो तहसीलों के २२ गांवों के ४२ महिला मंडलों की २१६ महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में द्वारका नगर पालिका के अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक, ग्राम्य विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष व ट्रस्टी, वास्मो के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। महिला मंडलों की महिलाओं ने विभिन्न समूहों की रचना कर महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के दर्जे तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्ष के बारे में जानकारी दी।

रूपेण बंदरगाह की सुश्री लाखीबेन वाघेला ने बंदरगाह क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति की जानकारी दी। इसके अलावा वरवाळा के झवेरनगर की सुश्री रूपीबेन वाघेला ने देवीपूजक जाति के लोगों को गांव में होने वाली परेशानियों की जानकारी दी। इसके अलावा कई बहनों ने अपनी संघर्ष यात्रा एवं विकास यात्रा के अनुभव सुनाए। उन्होंने बचत तथा ऋण मंडलियों में होने वाले कामकाज

शेष पृष्ठ 29 पर

गतिविधियाँ

ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से बजट की समालोचना

एकेआरएसपी, और चरखा, अहमदाबाद द्वारा अहमदाबाद में २८ फरवरी को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में केन्द्रीय बजट २००७-०८ की समालोचना करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस बैठक के उद्देश्य थे: १. ग्रामीण लोगों के लिए केन्द्रीय बजट को सरल बनाना। २. यह परखना कि ग्रामीण लोगों के जीवन को बजट किस तरह प्रभावित करेगा। ३. ग्रामीण भारत की जरूरतों के प्रति निर्णयकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट कराना। उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रख कर अर्थशास्त्रियों, विकास के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं और ग्रामीण नेताओं को बजट पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। वित्त मंत्री के बजट पेश करने से पहले उनसे विकास के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं ने बजट में अपनी अपेक्षाएं व्यक्त कीं, अर्थशास्त्रियों ने ग्रामीण लोगों के जीवन पर बजट आवंटन के प्रभाव की समीक्षा की और ग्रामीण नेताओं ने सीमित संसाधनों से अधिकतम लाभ लेने में उत्पन्न समस्याओं की जानकारी दी। इसके बाद बजट आया और सर्वप्रथम अर्थशास्त्रियों ने ग्रामजनों के लिए बजट के बारे में सरल भाषा में प्रस्तुति की। फिर, विकास क्षेत्र में कार्य करने वालों ने बजट पर अपने विचार रखे और ग्रामीण नेताओं ने भी कुछ बातों पर शंका जाहिर की। हालांकि विविध क्षेत्रों में हुए आवंटन को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री की प्रशंसा की।

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बजट आर्थिक नीति का आधार है, उससे अधिक तो यह एक काम चलाऊ योजना है। कृषि क्षेत्र पर कम ध्यान दिया जा रहा है। इस मुद्दे को जोरों से उठाया गया। कुछेक ने यह भी कहा कि कृषि के लिए अलग बजट होना चाहिए। अन्यों ने भी कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, अतः बजट कृषि आधारित होना चाहिए, उद्योग व सेवा क्षेत्र आधारित नहीं। कृषि, शिक्षा व ढांचागत सुविधाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। विशेषज्ञों ने कोष का पर्याप्त उपयोग नहीं होने की और उसे अन्य क्षेत्रों में मोड़े जाने को लेकर भी शिकायत की। मानवाधिकारों के मुद्दों के लिए धन आवंटित नहीं किया जाता, समाज के अधिकांश वंचित वर्गों के लिए फंड उपलब्ध नहीं कराया जाता। गरीबों की योजनाओं के अमल में समस्याएं हैं और योजनाओं के अमल की गुणवत्ता के साथ बजट का कोई सम्बंध नहीं है, आदि मुद्दे उठाए गए। समग्र कार्यक्रम अखबारी प्रतिनिधियों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी देखा और विस्तार से प्रचारित-प्रसारित भी किया। इसका रिकॉर्डिंग करके बाद में एकेआरएसपी के कार्यक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निदर्शन किया गया।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क: ए.के.आर.एस.पी., ९०२, कर्मा कॉम्प्लेक्स, महालक्ष्मी म्युनिसिपल मार्केट के सामने, महालक्ष्मी चौराहा, पालडी, अहमदाबाद - ३८०००७, गुजरात।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन सुस्थापित शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर की संस्थाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं नागरिक समाज के संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों से आमंत्रित किए गए हैं। जो नागरिक संगठन या स्वैच्छिक संगठन निम्नानुसार सिद्धांतों का अनुकरण करते हों, उन्हें रेडियो स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी मिलेगी:

१. वह स्पष्टतः गैर-मुनाफाकारी संगठन होना चाहिए और पिछले तीन वर्ष के दौरान समुदाय की सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य होना चाहिए।
२. वह जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करे वह एक निश्चित स्थानीय समुदाय की सेवा के लिए होना चाहिए।
३. जो स्टेशन स्थानीय समुदाय के लिए स्थापित होना है, उस समुदाय के अनुकूल स्वामित्व का और संचालन का ढांचा

होना चाहिए।

४. प्रसारण के कार्यक्रम सम्बद्ध समुदाय की शैक्षणिक, विकासलक्ष्यी, सामाजिक व सांस्कृतिक जरूरतों को संतुष्ट करने वाले होने चाहिए।

५. वह एक कानूनी संस्था होनी चाहिए अर्थात् सोसायटीज एक्ट या अन्य किसी कानून के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।

इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश और आवेदन पत्र मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है। संस्थाओं व संगठनों को निश्चित प्रारूप में ५०० रु. के शुल्क के साथ आवेदन करना है। उसका डिमांड ड्राफ्ट वेतन एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम से भेजना है।

सचकी यादें, यादों का सच

२००२ में गोधरा के हत्याकांड के बाद गुजरात में हुए दंगों को ५ वर्ष पूरे होने पर २६ फरवरी से ३ मार्च, २००७ के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

२६ जनवरी: अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ में हीरक महोत्सव हॉल में १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के १५० वर्ष, सत्याग्रह के १०० वर्ष और गुजरात दंगों के ५ वर्ष की घटनाओं के संदर्भ में एक चर्चा सभा दोपहर १ से सायं ४ बजे तक आयोजित की गई थी।

२७ फरवरी: अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ में हीरक महोत्सव हॉल में ही अंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्याय अदालत और गुजरात-२००२ विषय पर एक परिसंवाद आयोजित हुआ। इसके अलावा कबीर की यादें भाग-१ का भी मंचन हुआ।

२८ फरवरी: शांति और न्याय विषयक फिल्मों का प्रदर्शन अहमदाबाद की गुफा में किया गया तथा दर्पण अकादमी में नटराणी में रंगकर्मियों द्वारा 'लाजो' नाटक का मंचन किया गया। इसके अलावा कबीर की यादें भाग-२ का मंचन हुआ तथा अहमदाबाद के कलाकारों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक मंचित किया गया।

१ मार्च: गुजरात विद्यापीठ में हीरक महोत्सव हॉल में राष्ट्रीय बहुभाषी कवि सम्मेलन प्रतिरोध के शब्द आयोजित किया गया।

२ मार्च: अहमदाबाद में पालडी स्थित मेंहदी नवाज जंग हॉल में हिंसा के खिलाफ फिल्मों का प्रदर्शन हुआ और गुजराती में फाइनल सॉल्युशन का प्रथम शो हुआ। इसके अलावा अम्बेडकर हॉल में पिता-पुत्र और धर्मयुद्ध फिल्म दर्शाई गई।

३ मार्च: अंतिम दिन 'राम के नाम' फिल्म दिखाई गई और अहमदाबाद में सरदार बाग में शांति, सत्य व न्याय के लिए धरना दिया गया। इस समग्र कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक करने वाले ३ समूहों द्वारा चार नुक्कड़ नाटक अहमदाबाद में विभिन्न १३ स्थानों पर

श्री अनिलभाई शाह को श्रद्धांजलि

'डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर' के संस्थापक अध्यक्ष और 'आगाखां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम' भारत के प्रथम मुख्य एक्जीक्यूटिव श्री अनिलभाई सी. शाह का हाल ही में निधन हो गया। इन दोनों गैर-सरकारी संगठनों ने राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय द्वारा संचालित प्राकृतिक संसाधनों के औचित्य का निदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आई.ए.एस. अधिकारी के रूप में उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास व उद्योग जैसे सरकारी विभागों में उच्च पदों पर काम किया था।

श्री अनिलभाई ने क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर की नीतियों के साथ जोड़ने में और महत्वपूर्ण नीतियों व कार्यवाहियों में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विशेषकर संयुक्त वन प्रबंध, जलस्राव प्रबंध और सहभागी सिंचाई प्रबंध जैसे क्षेत्रों में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर इन बदलावों को लाने में वे अग्रणी रहे। इसके अलावा उन्होंने विकास के क्षेत्र में कर्मशीलों, विद्या जगत के विद्वानों और सरकारी अधिकारियों में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन जैसी सहभागी पद्धतियों को लोकप्रिय बनाया। वे एक अच्छे लेखक तथा अनुसंधानकर्ता भी थे। उन्होंने सरकार के अनुभवों व प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के साथ सम्बंधित मुद्दों पर अंग्रेजी और गुजराती में करीब १०० से अधिक अध्ययन-पत्र व लेख लिखे हैं। यही प्रार्थना है कि परम कृपालु परमात्मा उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे।

मंचित किए गए। उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी विभिन्न संगठनों ने उठाई। तमाम कार्यक्रमों का संचालन श्री हीरेन गांधी ने किया।

विकलांगों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

३१-३-२००७ को भारत ने अन्य ८१ देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता बाद में सम्बद्ध देश की सरकार के पास जाता है और सरकारें उसे मान्य करती हैं। २० देशों के मानने पर समझौता लागू होता है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के बारे में यह २१वीं सदी का महत्वपूर्ण समझौता है।

ऐसा पहली बार हुआ है कि समझौते के आरंभ में ही इतने अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हों। विकलांगता के संदर्भ में मानवाधिकारों को वह विस्तार से समझाता है। यह समझौता दर्शाता है कि विकलांगता के अधिकार छोटे विशेष अधिकार या सखावत नहीं हैं। समझौते में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनसे विकलांग व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों जैसे ही अवसर प्राप्त हों तथा वे भी समाज में अपना मूल्यवान योगदान दे सकें। कुल ३९ धाराओं के इस समझौते में विकलांगों के अधिकारों पर अमल के तरीके का प्रावधान है। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाएं, परिवहन और न्याय क्षेत्र सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में विकलांगों के साथ होने वाले भेदभाव को अवैध करार दिया गया है। इसमें सार्वजनिक स्थानों व मकानों में विकलांगों की पहुंच सरल बनाने तथा सूचना एवं संचार के ढांचे में सुधार पर जोर दिया गया है।

'प्रिया' द्वारा रजत जयंती सम्मेलन

अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में ७ जनवरी, २००७ को दिल्ली की 'प्रिया' संस्था द्वारा अपनी स्थापना के २५ वर्ष के उपलक्ष्य में स्थानीय निकाय में महिलाओं की सहभागिता तथा नेतृत्व को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। १९८२ में स्थापित इस संस्था ने इस अवसर पर 'ज्ञान ही सत्ता' के नारे के साथ समग्र देश में विविध सम्मेलन आयोजित किए। गुजरात में उन्नति द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गुजरात के विभिन्न जिलों से २८१ व्यक्ति उपस्थित रहे। गुजरात विद्यापीठ के कुलनायक डॉ. सुदर्शन आयंगर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन का संचालन 'उन्नति' के निदेशक बिनोय आचार्य ने किया। सम्मेलन में 'प्रिया' के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. राजेश टंडन और 'प्रिया' के

श्री राजेश टंडन का सम्मान

'इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर जस्टिस' और भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग के राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली में अशोक होटल के अशोक थियेटर में ८ मार्च, २००७ को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन द्वारा 'प्रिया' के अध्यक्ष श्री राजेश टंडन को स्वैच्छिक समर्थन, अधिकारों के ज्ञान, सामाजिक न्याय सम्बंध सुधारों व महिलाओं के प्रति न्याय को केन्द्र में रखकर विकासोन्मुख सामाजिक कार्य के साथ नागरिकों, समुदायों, सरकारों एवं राष्ट्रों के सशक्तिकरण में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए सामाजिक न्याय पदक से सम्मानित किया गया।

वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मेलन के आरंभ में 'प्रिया' की २५ वर्ष की यात्रा के बारे में एक फिल्म दिखाई गई। फिल्म में 'प्रिया' के दर्शन, मूल्य, लक्ष्य, उद्देश्य, दृष्टिकोण, रणनीति व छोटे या बड़े स्तर पर संस्था द्वारा किए गए विविध हस्तक्षेपों के बारे में प्रस्तुति दी गई। सम्मेलन में प्रथम सत्र में 'इरमा' के डॉ. देबीप्रसाद मिश्रा, 'चेतना' की सुश्री पल्लवी पटेल, ''एक्शनएड' के जावेद अमीर, 'वीपीएसएस' के अशोक चौधरी, 'साथ' के मयंक जोशी, 'एसडब्ल्यूडीएफ' की सुश्री शर्मिष्ठा जगावत आदि ने 'प्रिया' के साथ अपने सम्बंधों और संस्था द्वारा मिले स्नेह और मार्गदर्शन का प्रस्तुतिकरण किया। सम्मेलन के दूसरे सत्र में स्व-शासन में महिलाओं की सहभागिता और नेतृत्व पर चर्चा हुई। सत्र की अध्यक्षता डॉ. सारा अहमद ने की। इसमें सुश्री सीमंतिनी खोट, सुश्री प्रीति ओझा, डॉ. इला पाठक, प्रो. बी. एन. हीरेमठ आदि ने प्रस्तुति दी। सत्र का संचालन उन्नति की सुश्री गीता शर्मा ने किया। इस सत्र में शासन में महिलाओं की सहभागिता और नेतृत्व ने शासन को प्रभावी व कार्यक्षम बनाने में तथा उत्तरदायित्व व पारदर्शिता स्थापित करने में जो भूमिका निभाई है, क्या अधिकार आधारित मुद्दे उपस्थित हो रहे हैं और महिलाए अपनी अपेक्षाओं व स्वयं से संबंधित मुद्दों को व्यवस्थित ढंग से पेश करने में सक्षम बनी हैं नामक तीन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

पृष्ठ१९ का शेष भाग

में लिए गए कदमों की जानकारी देने वाला हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए यह आदेश दिया जाता है। इस आदेश में कहा गया था कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आपूर्ति के लिए वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रेक्ट का उपयोग नहीं किया जाए तथा अनाज खरीदने व भोजन तैयार करने के लिए महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण समुदायों का उपयोग करने के लिए ही आईसीडीएस का कोष खर्च किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को स्थानीय समुदाय द्वारा आपूर्ति करने की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने के लिए समयसारिणी दर्शानी होगी।

(८) १५ राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने ७ अक्टूबर, २००४ के आदेश का पालन करके कोई हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया है जो चिंता की बात है। इन राज्यों में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब चार सप्ताह में सम्बद्ध मुख्य सचिवों को जवाब दर्ज कराना होगा और उनसे खुलासा मांगा जाएगा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती अवमानना की कार्रवाई की जाए।

पृष्ठ 25 का शेष भाग

तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में भी बताया।

कार्यक्रम में संस्था के कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय समूह की महिलाओं द्वारा हिंसाने पेले पार नामक नाटक पेश किया गया। इसमें व्यसन, कन्या भ्रूण हत्या, हिंसा, महिलाओं का शोषण आदि की स्थिति का वर्णन किया गया। अतिथि वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, पुत्री को बचाने, पुत्रियों को पढ़ाने, महिलाओं को शोषण से मुक्त करने, बचत व ऋण प्रवृत्ति कर रोजगार द्वारा विकास पर जोर दिया। उन्होंने जोर दिया कि सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए महिलाएं संगठित हों। इस बारे में भी वक्ताओं ने जोर दिया कि ७३वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतें महिलाओं की भागीदारी द्वारा सक्रिय बनें।

संदर्भ सामग्री

युनाइटेड वी स्टैण्ड

इस अंग्रेजी पुस्तक में महिला समूहों के साथ कार्य के अनुभवों का वर्णन है। विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपने कार्यक्षेत्रों में महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले १० लेखों का समावेश इसमें किया गया है: (१) प्रथम लेख में भरवाड समुदाय की युवा लड़कियों को शिक्षा देने के नवीनतम प्रयोग का आलेखन सुश्री मुरली श्रीनिवास द्वारा किया गया है। (२) दूसरे लेख में सुश्री निधि लाभ द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सक्षमता की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण किया गया है। (३) तीसरे लेख में सर्वश्री वी. जी. श्रीनिवास, मानसी, परिणिता और अरबिंद सिंह द्वारा युवा लड़के-लड़कियों द्वारा उनके समुदाय में महिला-पुरुष समानता के लिए माहौल बनाने के किए गए प्रयासों का आलेखन किया गया है। (४) चौथे लेख में सुजीत सरकार द्वारा महिलाओं को कृषि सम्बंधी जीवन निर्वाह की गतिविधियों को दिए गए प्रोत्साहन के बारे में वर्णन किया गया है। (५) सुश्री गीता मेनन द्वारा लिखे गए पांचवें लेख में बचत और ऋण मंडलियों के गठन का बिहेवियरल साइंस सेंटर का अनुभव विस्तार से दर्शाया गया है। (६) सुश्री रीमा नाणावटी द्वारा लिखे गए इस लेख में जीवन निर्वाह की परियोजनाओं को टिकाऊ बनाने के तरीकों के बारे में 'सेवा' का अनुभव आलेखित किया गया है। (७) सुश्री एलिस मोरिस एवं सुश्री अनुराधा पती द्वारा लिखे गए इस लेख में गुजरात के भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति के बारे में आलेखन किया गया है और अपने अवलोकन दर्शाए हैं। (८) सुश्री कीर्तन वासुदेवन द्वारा लिखे गए एक लेख में हस्तकला क्षेत्र में अपने डिजाइन विशेषज्ञ के रूप में अनुभवों का वर्णन किया गया है। (९) एक गैर-सरकारी संगठन की कर्मशील के रूप में सुश्री भानुमती रोहित इस लेख में यहां आलेखन करती हैं कि किस तरह स्वयं सक्षम बनें। (१०) अंतिम लेख में नागरिक नेताओं के लिए महिला-पुरुष भेदभाव के संदर्भ में संवेदनशीलता स्थापित करने को लेकर जो कार्यशाला आयोजित की गई थी उसकी रिपोर्ट का विवरण है और समुदाय के नेताओं की अभिमुखता जिस तरह स्थापित की जा सकती है उसको दर्शाया गया है। प्राप्ति स्थान : उन्नति, सहयोग राशि : ३० रु.

ऑर्गेनाइजिंग दलित्स

इस अंग्रेजी पुस्तक में कुल ८ लेख हैं। लेखकों ने इनमें निम्न

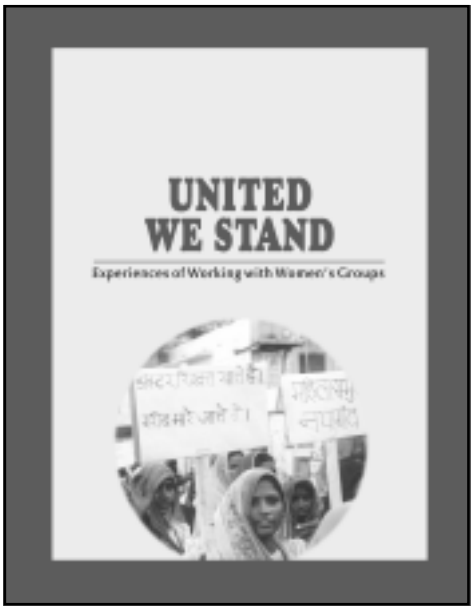

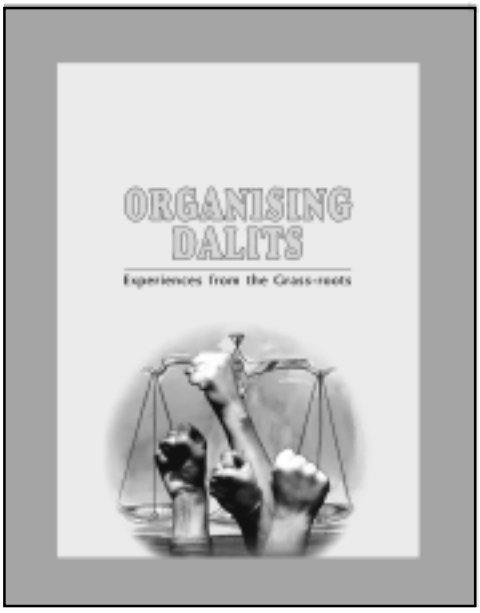

विषयों को शामिल किया है: (१) दलितों की समस्याओं व मुद्दों के सम्बंध में रणनीतिक दृष्टिकोण कैसे अपनाया जाए। (२) फलौदी के वणकर (बुनकर)। (३) अहमदाबाद शहर में सफाई कामगारों के कार्य व स्वास्थ्य की स्थिति। (४) गुजरात के बनासकांठा में अधिकारों के लिए दलितों की लड़ाई। (५) स्थानीय निकाय में दलितों का नेतृत्व। (६) पश्चिम राजस्थान में दलितों का संगठन। (७) ग्रामीण राजस्थान में अस्पृश्यता के बारे में एक अध्ययन। उपरोक्त लेख क्रमशः सर्वश्री मार्टिन मेकवान, रमेश थानवी, एलिस मोरिस, दिनेश परमार, तापस सत्पथी और हितेन्द्र चौहाण द्वारा लिखे गए हैं। दलितों की समस्या पर सामाजिक विकास के बारे में स्थानीय स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं उनकी झलक इन लेखों से प्राप्त होती है। पिछली बार दलित सामाजिक विश्लेषण को लेकर जो कार्यशाला आयोजित की गई थी उसकी डिजाइन दी गई है। दलित नेताओं के सामाजिक एकत्रीकरण तथा संगठन के लिए शैक्षणिक प्रक्रिया स्थापित करने के प्रयास के तहत दो दिवसीय यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा विभिन्न सत्रों में नागरिक नेताओं के प्रशिक्षण के लिए जो पद्धतियां अपनाई गईं हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। प्राप्ति स्थानः उन्नति, सहयोग राशिः ३० रु.

मेनस्ट्रीमिंग डिसेबिलिटी इश्यूज

इस अंग्रेजी पुस्तक में विकलांगता से सम्बंधित विविध समस्याओं और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें सर्वश्री एलाना ऑफिसर, कैथरिन, नौटन, डॉ. ए. प्रसाद, गीता शर्मा, अरिंदम मित्रा, अर्चना श्रीवास्तव, एलिस मोरिस और दीपा सोनपाल द्वारा छः लेख लिखे गए हैं। ये तमाम लेख विकलांगता और विपत्तियों के कारण उत्पन्न समस्याओं, समुदाय-आधारित पुनर्वास, विकलांगता से जुड़े मुद्दों को मुख्य प्रवाह की चर्चा में शामिल करने में समुदाय-आधारित संगठनों की भूमिका, अवरोधमुक्त वातावरण तथा सहभागी मूल्यांकन के अनुभव जैसे मुद्दों को छूते हैं। इसके अलावा विकलांगता तथा विकास को लेकर कई गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जो प्रशिक्षण शुरू किए गए थे उनके आधार पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल बना कर दिया गया है। यह मॉड्यूल हैंडीकैप इंटरनेशनल एवं उन्नति द्वारा तैयार किया गया है। अंत में विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए जो चार कानून बनाए गए हैं उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

प्राप्ति स्थानः उन्नति, सहयोग राशिः ३० रु.

उन्नति द्वारा हर तीन माह में हिन्दी और गुजराती में प्रकाशित 'विचार' नामक पत्रिका में प्रकाशित लेखों का अनुवाद उपरोक्त तीनों अंग्रेजी पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया है।

पंचायतें और सामाजिक न्याय

इस पुस्तिका को लिखने का उद्देश्य यह है कि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और सामाजिक न्याय समितियों के अध्यक्षों व सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि पंचायतें सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक विकास के लिए काम करें। पंचायती शिक्षण सम्पुट के साथ यह दूसरी पुस्तिका है। ग्राम पंचायत की वित्तीय व्यवस्था शीर्षक के तहत एक पुस्तिका पहले प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तिका में इन प्रकरणों का समावेश किया गया है: (१) सामाजिक न्याय अर्थात् क्या? (२) सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधान। (३) पंचायतें व सामाजिक न्याय। (४) गुजरात में पंचायतें व सामाजिक न्याय। (५) ग्राम पंचायत की सामाजिक न्याय समिति (६) तहसील पंचायत की सामाजिक न्याय समिति। (७) जिला पंचायत की सामाजिक न्याय समिति। (८) पंचायत कार्य दल की सिफारिशें। (९) गोलमेज परिषदों की सिफारिशें। (१०) सामाजिक न्याय निधि। (११) आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतें। (१२) द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें। (१३) सामाजिक न्याय समितियों को सक्रिय कैसे बनाएं?

पुस्तिका में सामाजिक न्याय का विचार समय रहते समझाया गया है और उसे स्थापित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका विवरण दिया गया है। तीनों स्तर की पंचायतों की सामाजिक न्याय समितियों का गठन, कार्य, कार्यवाही और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी भी दी गई है। सामाजिक न्याय समितियां समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए जहाँ से धन प्राप्त कर सकती हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। सामाजिक न्याय निधि इसके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका गठन जिला पंचायत में किया जाता है। इस निधि से सामाजिक न्याय समितियों में धन प्राप्त किया जा सकता है। सब से महत्वपूर्ण जानकारी गुजरात राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर है। वित्त आयोग की यह रिपोर्ट १२ जून, २००६ को सरकार को सौंपी गयी है, लेकिन सरकार ने अभी तक उसे लागू नहीं किया है। पिछड़ी पंचायतों के लिए सामाजिक न्याय समितियों हेतु द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में की हैं उसके बारे में जानकारी भी यहां दी गई हैं। इन सिफारिशों पर अमल के लिए सरकार पर दबाव लाना जरूरी है। कुल मिलाकर यह पुस्तिका पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

लेखक : हेमंतकुमार शाह, पृष्ठः६६ प्रकाशकः बिहेवियरल साइंस सेंटर, सेंट जेवियर्स कॉलेज कैम्पस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-३८० ००९. फोनः ०७९-२६३०४९२८, २६३०३५७७, फैक्सः ०७९-२९३०७८४५. ई-मेलः sxnfesad1@sanchatnet.in

हिन्दी वीडियो फिल्में

उन्नति द्वारा दो हिन्दी फिल्में बनाई गई हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार हैं:

(१) हमारी ग्राम सभाः २७ मिनट की इस हिन्दी फिल्म में ७३वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम सभा की प्रक्रिया को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसमें महिला सरपंच दलितों और वंचित वर्गों के हितों को ध्यान में रख कर तथा महिलाओं की समानता व सहभागिता को प्रोत्साहित कर ग्राम सभा का संचालन करती है। इस वीडियो फिल्म का उपयोग सामुदायिक प्रसंगों तथा पंचायती

राज से सम्बंधित कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में किया जा सकता है। यह फिल्म दर्शाने के बाद निम्न मुद्दों की चर्चा हो सकती है: (अ) क्या इस फिल्म में दर्शाए तरीके से ही ग्राम सभा होती है? (ब) यदि नहीं तो ग्राम सभा की प्रक्रिया अलग कैसे है? (क) फिल्म में दर्शाई गई प्रक्रिया यदि आप ग्राम सभा में अपनाना चाहते हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह फिल्म ग्राम पंचायत, तहसील पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए तथा स्थानीय निकाय क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के लिए और स्वशासन क्षेत्र में प्रशिक्षण देती संस्थाओं के लिए उपयोगी हो सकती है।

(२) पंचायत बैठकः २६ मिनट की इस हिन्दी फिल्म में ७३वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक की प्रक्रिया दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसमें महिला सरपंच दलितों व

वंचित वर्गों के हितों को ध्यान में रख कर तथा महिलाओं की समानता व सहभागिता को प्रोत्साहित कर ग्राम पंचायत की बैठक का संचालन करती है। इस वीडियो फिल्म का उपयोग सामुदायिक प्रसंगों व पंचायती राज संस्था से सम्बद्ध कार्यशालाओं व तालीमों में किया जा सकता है। यह फिल्म दर्शाने के बाद निम्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है: (अ) क्या इस फिल्म में दर्शाए गए तरीके से ही ग्राम पंचायत की बैठक होती है? (ब) यदि नहीं, तो उस ग्राम पंचायत की बैठक की प्रक्रिया किस तरह अलग है? (क) फिल्म में दर्शाई गई प्रक्रिया यदि आप ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित चलाने के लिए अपनाना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह फिल्म ग्राम पंचायत, तहसील पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए तथा स्थानीय निकाय क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के लिए और स्वशासन क्षेत्र में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। प्राप्ति स्थानः उन्नति, खसरा सं. ६५०, राधाकृष्णपुरम्, लेरिया रिसोर्ट के पास में, पाल-चोपासनी बाईपास लिंक रोड, जोधपुर - ३४३ ००८, राजस्थान। ई-मेलः unnati@datainfosys.net

गुजराती वीडियो फिल्में

उन्नति द्वारा आठ गुजराती फिल्में बनाई गई हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(१) ग्राम सभाः यह एक एनिमेशन फिल्म है। इसमें यह दर्शाया गया है कि ग्राम सभा के बारे में नियमों और लोगों की भागीदारी किस तरह सुधरे तथा लोगों की संस्था के रूप में उसका उद्देश्य कैसे पूरा हो।

(२) पंचायत बैठकः यह एक एनिमेशन फिल्म है। इसमें यह दर्शाया गया है कि ग्राम पंचायत की बैठक चलाने के नियम दर्शाए गए हैं। इसके अलावा यह दर्शाया गया है कि निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता कैसे हो।

(३) नूतन प्रभातः सामाजिक न्याय सम्बंधी यह फिल्म तीनों स्तरों

की पंचायतों में सामाजिक न्याय समिति के महत्व तथा समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक व सामाजिक विकास में समिति की भूमिका को समझाती है।

(४) साचुं स्वराजः यह सुशासन सम्बंधी फिल्म है। इसमें सत्य घटनाओं का नाट्यात्मक निरूपण किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नेतृत्व जैसे मुद्दे सुशासन को किस तरह प्रभावित करते हैं।

(५) मळे नानी आवकनां झरणां बने मोटी सरिताः इस फिल्म में पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार व उन्हें विकास कार्यों के लिए सक्षम बनाने के बारे में वर्णन किया गया है।

(६) आपणा घडवैया आपणेः ग्राम पंचायत का बजट बनाने के कानूनी प्रावधानों की रूपरेखा इस फिल्म में दी गई है। इसके अलावा यह दर्शाया गया है कि सहभागी रूप से जरूरतों का मूल्यांकन कैसे हो और बजट में उनका समावेश कैसे हो।

पंचायती राज पंचांग २००७

उन्नति द्वारा हिन्दी भाषा में यह पंचांग तैयार किया गया है। इस पंचांग का सूत्र हैः अपना गांव अपना राज, मिल-जुल कर सब सीखें आज। पंचायत में पहचान हमारी, है हम सबकी जिम्मेदारी। आओ मिल कर लें जानकारी, पंचायत की बात बताऊं, मैं पांचूं पंछी कहलाऊं।

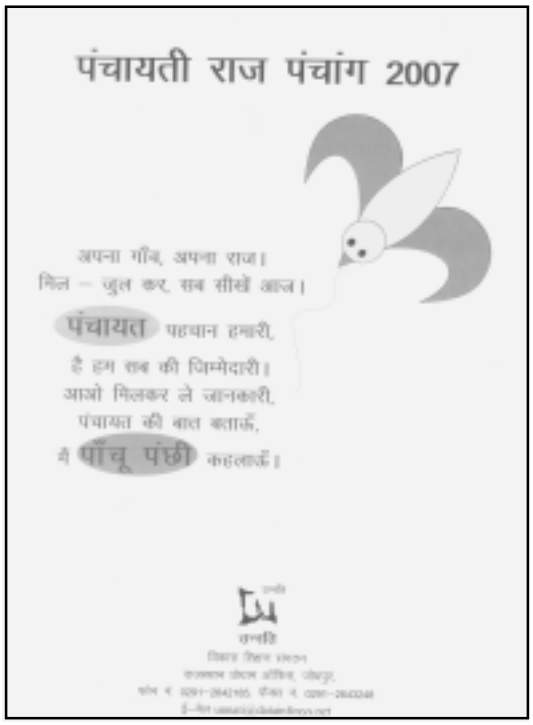

बारह माह के इस कैलेण्डर में हर माह के पन्ने के सामने पंचायती राज के बारे में विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है। ये विषय हैं: पंचायत राज, पंचायती राज के तीन स्तर, ७३वां संविधान संशोधन, सरपंच, वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम सेवक, गांव के विकास की योजना, ग्राम पंचायत का बजट, महत्वपूर्ण योजनाएं, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड और रजिस्टर, ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियां। पांचूं पंछी एक प्रतीक है, जो संदेशवाहक है। वह लोगों को पंचायत की जानकारी देता है, नियम बताता है और पंचायती राज व्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा देता है।

हमारा स्वास्थ्य - हमारे हाथ में

राजस्थान में उन्नति के कार्यक्षेत्र में पानी से होने वाले रोगों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत एक रंगीन भित्तिचित्र तैयार किया गया। इसमें स्वच्छता व स्वास्थ्य के लिए तीन जरूरी बातों की प्रस्तुति रंगीन चित्रों द्वारा की गई है। (१) भोजन से पहले, शौच के बाद और कार्य के दौरान दोनों हाथ साबुन से धोने चाहिए। (२) शौच के बाद मल को मिट्टी से ढंक देना चाहिए, जिससे मक्खियां या अन्य जंतु नहीं बैठे। जहां पानी बहता

हो उसके निकट शौच जाने से पानी गंदा होता है और रोग होते हैं। अतः वहां शौच नहीं जाना चाहिए। (३) खाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता हो उन वस्तुओं व पानी को ढंक कर रखना चाहिए, जिससे उन पर मक्खियां व अन्य जंतु बैठें नहीं तथा उसमें कचरा न गिरे। ये भित्तिचित्र ऑक्सफाम के सहयोग से व शेरगढ़ के 'जयभीम विकास शिक्षा संस्थान' एवं सिंधरी के 'प्रयास' संस्थान के सहयोग से 'उन्नति' द्वारा तैयार किए गए थे।

आदिवासी विकास के भित्तिपत्र

गुजरात सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए जो पद्धति अपनाई गई है उसे गुजरात पैटर्न के रूप में जाना जाता है। इसमें विभिन्न विकासोन्मुख योजनाओं का समावेश होता है। इस पैटर्न के प्रचार के लिए गुजरात सरकार के आदिजाति विकास कार्यालय के आयुक्त के द्वारा दो भित्तिपत्र तैयार किए गए हैं: (१) आदिजाति विकास अभियानः लोकभागीदारीथी चालो करीए आपणां गामनो आपणे विकास (चलो जन भागीदारी से करें, हम हमारे गांव का विकास) (२) सत्ताना विकेन्द्रीकरण अने लोकभागीदारी साथे आदिजातिनो विकास (सत्ता के विकेन्द्रीकरण व जन भागीदारी से आदिजाति का विकास) : इसमें सामाजिक क्षेत्र, ढ़ांचागत सुविधाओं व सेवाओं का सशक्तिकरण, व्यक्तिगत आर्थिक सहायता, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, सामाजिक सुरक्षा और वसाहत, सहकारी

प्रवृत्तियों को बढ़ावा, सामूहिक आर्थिक सहायता। इस योजना में जिस तरह ग्राम सभा से सरकार के वित्त विभाग तक की मंजूरी व वित्तीय आवंटन की व्यवस्था नियोजित है, उसके चरण एक आलेख द्वारा बताए गए हैं। प्राप्ति स्थानः आयुक्त, आदिजाति विकास का कार्यालय, बिरसा मुंडा भवन, सेक्टर १०-ए, गांधीनगर।

बेजिन-साउथ एशिया-समाचार पत्र २००७, नं. ७

बेजिन-साउथ एशिया एक प्रादेशिक ज्ञान मंच है। यह गरीबों को दक्षिण एशिया में टिकाऊ आवास तथा जीविका प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ज्ञान व्यवस्था को विकसित करने वाला और सामूहिक कार्य को बढ़ावा देने वाला संगठन है। इसमें मुख्यतः दक्षिण एशिया की ११ संस्थाएं और स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड को-ऑपरेशन जुड़ी हुई हैं। इस संस्था द्वारा जो समाचार पत्र हर तीन माह में प्रकाशित किए जाते हैं उनका २००७ का नं. ७ का अंक

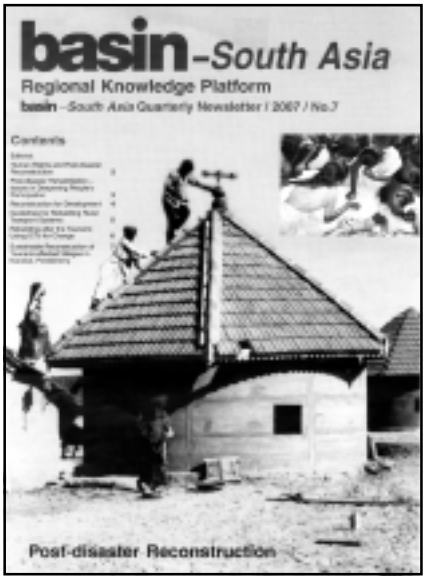

विपत्ति के बाद के पुनर्निर्माण के बारे में है। यह अंक उन्नति एवं डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा तैयार किया गया है। इसमें इन मुद्दों को शामिल किया गया है: (१) मानवाधिकार व विपत्ति के बाद का पुनर्निर्माण। (२) विपत्ति के बाद का पुनर्वास-लोगों की सहभागिता बढ़ाने के मुद्दे। (३) विकास के लिए पुनर्निर्माण (४) ग्रामीण परिवहन व्यवस्था के पुनर्निर्माण के दिशा-निर्देश। (५) सुनामी के बाद का पुनर्निर्माण-परिवर्तन के लिए आई.सी.टी. का उपयोग। (६) पॉन्डिचेरी के कराईकाल में सुनामी प्रभावित गांवों में टिकाऊ पुनर्निर्माण। प्राप्ति स्थानः डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, बी-३२, तारा क्रिसेंट, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-११० ०१६ ई-मेल-basin@devalt.org

ऑनर ड्रिवन हाउसिंग प्रोसेस - रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम इन भचाऊ

'उन्नति' द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित इस पुस्तक में 'उन्नति' द्वारा गुजरात में कच्छ जिले के भचाऊ नगर में २००१ के भूकम्प के बाद पुनर्वास की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके बारे में जानकारी दी गई है। गुजरात में घरों के निर्माण के लिए घर के मालिक स्वयं ही प्रक्रिया शुरू करें जैसे अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयासों में एक प्रयास 'उन्नति' द्वारा किया गया था। यह पुस्तक दर्शाती है कि जब बाहरी संस्थाएं आवास निर्माण के लिए स्वयं कुछ करने की बजाए लोगों के लिए प्रेरक बनती हैं तब बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रम भी संक्षिप्त अवधि में पूरे किए जा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें लोगों की भागीदारी और मालिकी दोनों होती हैं। इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि मालिकी प्रेरित प्रक्रियाएं पुनर्निर्माण की परियोजनाओं में सकारात्मक प्रभाव बनाने में और

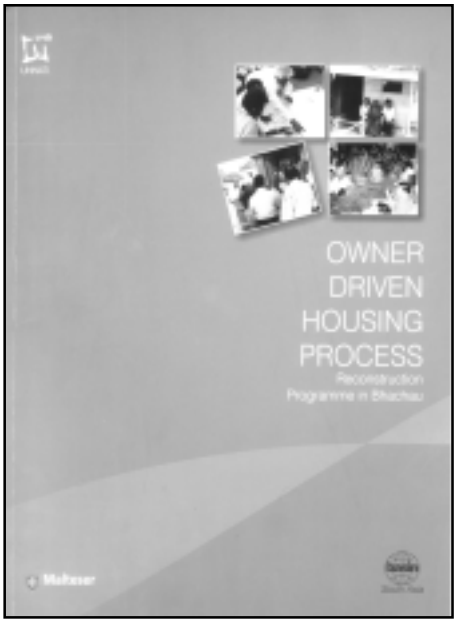

हस्तक्षेप को टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस समग्र कार्यक्रम का ढांचा, पुनर्निर्माण के प्रयास, उसके लिए शुरू की गई प्रक्रिया और नए प्रयासों में लोगों की भागीदारी आदि मुद्दे दर्शाए गए हैं। शहरी आयोजन की प्रक्रिया तथा विकास योजनाओं की पद्धतियों में जिस तरह लोक भागीदारी स्थापित की गई और 'उन्नति' द्वारा स्थापित नागरिक सहयोग केन्द्र द्वारा जो भूमिका निभाई गई उसकी जानकारी भी इस पुस्तक में दी गई है। जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं रहीं और उनसे जो सीखने को मिला वह भी इसमें बताया गया है। प्रकाशकः 'उन्नति', अहमदाबाद।

प्रमोशन ऑफ रूरल हाउसिंग इन वैस्टर्न राजस्थान

'उन्नति' पिछले ८ वर्षों से पश्चिमी राजस्थान में काम कर रही है। इसमें सामाजिक समावेश व सशक्तिकरण तथा नागारिक नेतृत्व एवं शासन इन दो विषयों के आसपास तमाम कार्यक्रम और प्रवृत्तियां की जाती हैं। इस दस्तावेज में लोककेन्द्री ग्रामीण आवास व गृह निर्माण विकास के बारे में जो प्रक्रियाएं हुईं और उनसे जो सीखने मिला उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। यह कार्यक्रम पिछले दो वर्ष से स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एण्ड को-ऑपरेशन के सहयोग से चलता है। राजस्थान के बाड़मेर एवं जोधपुर जिलों में कार्यलक्ष्यी संशोधन की पद्धतियों के साथ इस परियोजना का अमल पंचायतों, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और कारीगरों की भागीदारी से किया गया है। इस दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई है कि ग्रामीण आवास क्षेत्र में हस्तक्षेप का तर्क क्या है, हस्तक्षेप किन उद्देश्यों के साथ किया गया और उसके क्या परिणाम आए, उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा इसमें वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का चयन, कारीगरों के मंडलों को मजबूत बनाने एवं उनका गठन करने, समुदाय की जागरूकता तथा आवास निर्माण के लिए पंचायती राज

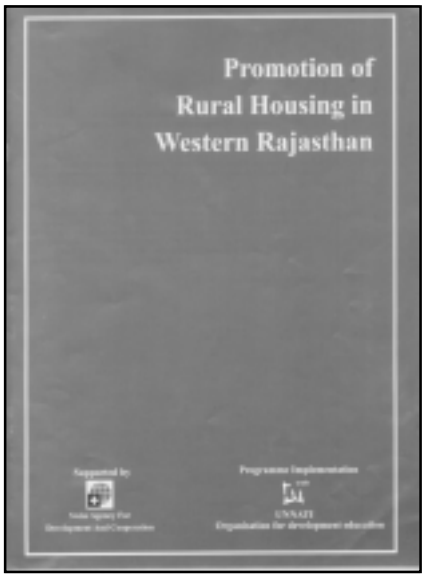

संस्थाओं को मजबूत करने जैसे कार्यों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा इसमें भविष्य की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी दी गई है। प्रति के लिए सम्पर्कः 'उन्नति', खसरा सं. ६५०, राधाकृष्णपुरम्, लहेरिया रिसोर्ट के पास, पाल-चोपासणी बाईपास लिंक रोड, जोधपुर, राजस्थान।

पंचायतें और विकास

'बिहेवियरल साइंस सेंटर', अहमदाबाद की ओर से प्रकाशित पंचायती शिक्षण सम्पुट की यह तीसरी पुस्तिका है। इसका प्रकरणवार विवरण इस प्रकार हैः

(१) पंचायतों के जरिए स्वतंत्रता का एहसासः इसमें पंचायतें स्वशासन की संस्थाएं बनें और उनमें जो चुनौतियां हैं उन्हें दर्शाया गया हैं। **(२) ७३वां संविधान संशोधनः** इस प्रकरण में संविधान संशोधन को धारावार सरल शब्दों में समझाया गया है। **(३) ग्राम पंचायत के कार्यः** इसमें इसमें गुजरात पंचायत अधिनियम की धारा-९९ के तहत ग्राम पंचायत के ११२ कार्यों की उनके उप शीर्षकों के साथ सूची दी गई है। **(४) तहसील पंचायत के कार्यः** गुजरात पंचायत अधिनियम की धारा-९९ के अनुसार तहसील पंचायत के ७३ कार्यों की सूची दी गई है। **(५) जिला पंचायत के कार्यः** इसमें गुजरात पंचायत अधिनियम की धारा-९९ के तहत जिला पंचायत के ७३ कार्यों की सूची दी गई है। **(६) आदिवासी क्षेत्रों के लिए कानूनः** इसमें १९९६ में संसद द्वारा ७३वां संविधान संशोधन देश के आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए जो कानून बनाया गया उसे सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। **(७) वन संचालन और गौण वन उत्पादः** इसमें संयुक्त वन प्रबंध में ग्राम पंचायतों की भूमिका और भारत सरकार की अपेक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। **(८) शिक्षा और पंचायतेंः** इस प्रकरण में ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम निर्माण समिति और स्कूली कमरों के रखरखाव तथा मरम्मत के बारे में ग्राम पंचायत की भूमिका की चर्चा की गई है। **(९) जलापूर्तिः** यह प्रकरण जलस्राव विकास, जल समिति, स्वजलधारा योजना और ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। **(१०) जनसंख्या नियंत्रण तथा पंचायतों की भूमिकाः** इसमें भारत सरकार और गुजरात सरकार की जनसंख्या नीतियों में पंचायतों की भूमिका के बारे में इसमें चर्चा की गई है।

लेखकः हेमंतकुमार शाह, पृष्ठः ७०, सहयोग राशिः २० रु., प्रकाशकः 'बिहेवियरल साइंस सेंटर', अहमदाबाद।

पृष्ठ 40 का शेष भाग

पिछले तीन माह के दौरान अंग्रेजी में अनेक पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं। ऑनर ड्रिवन हाउसिंग प्रोसेसः रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम इन भचाऊ इन कोलेबरेशन विथ बेसिन साउथ एशिया एंड डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, ऑर्गेनाइजिंग दलित्सः एक्सपीरियेंस फ्रॉम द ग्रास रूट, युनाइटेड वी स्टैण्डः एक्सपीरियेंस ऑफ वर्किंग विथ वुमेन्स ग्रुप, मेनस्ट्रीमिंग डिसेबिलिटी इश्यूसः एक्सपीरियेंस इन एन्हांसिंग सिविल सोसायटी पार्टीसिपेशन। बेसिन साउथ एशिया का २००७ का नं. ७ का संस्करण डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के सहयोग से तैयार किया गया है। पिछले २ वर्ष के दौरान स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के समर्थन से आवास और गृह निर्माण कार्यक्रम के अमल के परिणामस्वरूप जो प्रक्रियाएं हुईं और जो सबक सीखने मिला उसका दस्तावेजीकरण करती एक पुस्तिका प्रमोशन ऑफ रूरल हाउसिंग इन वेस्टर्न राजस्थान के नाम से प्रकाशित की गई है। एक डिजाइन कन्सल्टेंट की सहायता से राजस्थान के लिए पंचायती राज विषय पर लोकोपयोगी शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए व्यापक संप्रेषण रणनीति तैयार की गई है। ऐसी काफी सामग्री तैयार की गई है, जैसे २००७ का कैलेंडर और ७३वें संविधान संशोधन के बारे में पंचायत चालीसा।

हिन्दी और गुजराती में ग्रामीण शासन के बारे में कई फिल्में तैयार की गई हैं। हिन्दी भाषा में ग्राम सभा तथा पंचायत बैठक तथा गुजराती भाषा में नूतन प्रभात, साचुं स्वराज, मळे नानी नानी आवकनां झरणां बने मोटी सरिता, आपणां घडवैया आपणे जैसी फिल्में बनाई गई हैं। गुजराती फिल्में सेटकॉम की तालीम के लिए तैयार की गई हैं। गुजराती भाषा में त्रैमासिक समाचार पत्र पंचायत जगत प्रकाशित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष के अंत में स्टाफ के वरिष्ठ सदस्यों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा की गई। चिंतन के दौरान यह भी कहा गया है कि हम मुख्यत: सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण तथा नागरिक नेतृत्व व शासन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी तरह की गतिविधियों के स्वरूप तथा केन्द्र में ये दो विषय हैं। पिछले तीन माह के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां की गईं:

१. दलित अधिकार

पश्चिम राजस्थान में दलितों के जीवन निर्वाह की पद्धति में फेरबदल के बारे में एक अध्ययन जोधपुर व बाड़मेर जिलों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले छः समुदायों के साथ जोधपुर के 'राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड' के सहयोग से किया गया। पिछले तीन माह के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव के २३ मामलों में, अत्याचार के १२ मामलों (जिनमें महिलाओं के प्रति हिंसा के पांच मामले शामिल हैं) और भूमि अतिक्रमण के ८ नए मामलों में समर्थन दिया गया। छः परिवारों की ८८ बीघा जमीन मुक्त कराने में सफलता मिली। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ५२ परिवारों को दिया गया। पश्चिम राजस्थान में जोधपुर में शेरगढ़ में और बाड़मेर में सिंधरी में जल संग्रह के परम्परागत ढांचे की भूमिका व अवसरों के बारे में दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनमें ४३ निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित ११२ प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने ऐसे ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए एक कार्यलक्ष्यी योजना तैयार की। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ लेना भी तय किया गया। शेरगढ़ व सिंधरी में ४ गांवों में ३६ जलसंग्रह ढांचे स्थापित किए गए। बरसाती जल के अधिकतम संग्रह के लिए बड़े जलस्राव क्षेत्र को शामिल किया गया है।

२. महिलाओं को मुख्य धारा में लाना

पिछले तीन माह के दौरान तीन सहयोगी संगठनों के लिए २००४-०५ में जो नीतियां बनाई गईं उनकी समीक्षा सुश्री सोफिया खान की सहायता से की गई। इस समीक्षा के आधार पर वर्तमान में जो कमियां नजर आती हैं उन्हें दूर करने की योजनाएं बनाई गईं। पिछले ९ माह से अभियान के भीतर की प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए २४ महिला व २४ पुरुष सामुदायिक नेताओं को फेलोशिप दी गई है। इसमें क्षमतावर्धन में मदद के अलावा छोटी रकम का वित्तीय समर्थन भी दिया गया है।

३. विकलांगता की समस्याओं को मुख्य धारा में लाना

विद्यार्थियों के उत्सव 'रूट्स' के तहत अहमदाबाद में सी.ई.पी.टी. में अवरोधमुक्त पर्यावरण के बारे में एक आधे दिन की अभिमुखता कार्यशाला आयोजित की गई। 'एक्सेस रिसोर्स ग्रुप' के सदस्यों के समर्थन के साथ आयोजित इस कार्यशाला में ४० विद्यार्थी उपस्थित थे। इस समूह के सदस्यों द्वारा अहमदाबाद के आई.आई.एम. के आग्रह पर उसका एक्सेस ऑडिट किया गया। इस बारे में प्रस्तुतिकरण इंस्टीट्यूट में किया गया। इसके आधार पर अब निर्माण में सुधार किया जाएगा।

४. विपत्ति-संकट प्रबंध के सामाजिक निर्धारक

भचाऊ तहसील के दस गांवों के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विपत्ति के प्रतिकार की तैयारी व शासन सम्बंधी एक तालीम आयोजित की गई। इसमें ५५ नेताओं ने भाग लिया। दो बचाव केन्द्र पूरे किए गए हैं। ये दोनों बनियारी व लाखारा में हैं। इनमें जल संग्रह की व्यवस्थाओं व नई समुचित टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। बाड़मेर में बाढ़ग्रस्तों के पुनर्वास के बाद २०२ परिवारों के लिए आवास निर्माण किया गया। इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध कम खर्चीली टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया।

५. ग्रामीण आवास

राजस्थान में जोधपुर व बाड़मेर जिलों की चार तहसीलों के ३० गांवों में आवास सम्बंधी कम खर्चीली टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कई भित्तिचित्रों, पोस्टरों और गीतों को तैयार किया गया। स्टेबिलाइज्ड सॉइल बॉक्स

बनाने के लिए २८ व्यक्तियों को तालीम दी गई और उन्हें समर्थन भी दिया जा रहा है।

६. जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन

महिला उत्पादक समूहों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए हीरालक्ष्मी मेमोरियल क्राफ्ट पार्क के साथ जोड़ा गया है। पिछले तीन माह के दौरान उनकी बिक्री ४९,८३० रु. की हुई है। यह रकम दोरी रिवॉल्विंग फंड में जमा कराई गई है। ७० महिला कारीगरों को १३,६५२ रुपए वेतन के रूप में दिए गए। केयर-इंडिया द्वारा प्राप्त सहयोग से कच्छ महिला विकास संगठन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में १२ महिला कारीगरों ने भाग लिया। गर्मी के मौसम में पहने जाने वाले वस्त्रों के नमूने तैयार किए गए हैं और घर की सजावट के लिए कपड़े के नमूने तैयार किए गए हैं। कम्प्यूटर की मदद से डिजाइन तैयार करने का प्रयास किया गया है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट की पद्धति भी आधुनिक बनाई गई है।

७. ग्रामीण शासन

गुजरात में दिसम्बर-२००६ में पंचायत चुनाव हुए। इसके बाद अहमदाबाद की विरमगाम, दसक्रोई, धोळका तहसीलों, साबरकांठा की खेडब्रह्मा और कच्छ की भचाऊ तहसील की २०० ग्राम पंचायतों में ८३६ नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायतों के कामकाज, सूचना के अधिकार के कानून के प्रावधानों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के प्रावधानों के बारे में अभिमुख कराया गया। ७५ सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षक बनने की तालीम दी गई, जो सेटकॉम द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को तालीम देने का काम करेंगे। उन्होंने गुजरात के २५ जिलों के करीब ८५० सरपंचों को तालीम दी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के अमल पर एक अध्ययन सितंबर-अक्टूबर-२००६ के दौरान साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर, मोडासा व खेडब्रह्मा तहसीलों में किया गया। इसके निष्कर्ष राज्य स्तरीय परामर्श सभा में पेश किए गए।

सूरत व नवसारी जिलों में आदिवासी विकास विभाग के सहयोग से आदिजाति क्षेत्र विकास सम्बंधी एक अभियान चलाया गया। आदिजाति विकास विभाग के ३५ अधिकारियों व गैर-सरकारी संगठनों के २१ प्रतिनिधियों की अभिमुखता तालीम आयोजित की गई। इस अभियान के लिए भित्तिचित्रों के दो सम्पुट व एक पोस्टर तैयार किया गया। नवसारी जिले में यह अभियान शुरू करने के लिए एक जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसका उद्घाटन आदिजाति विकास मंत्री मंगुभाई पटेल ने किया। अहमदाबाद जिले की धोळका तहसील के नागरिक नेताओं ने बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति व गुणवत्ता में सुधार के कई प्रयास किए हैं। प्रत्येक गांव के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया गया है। तमाम सरकारी कर्मचारी इस बोर्ड में आने व जाने के समय हस्ताक्षर करते हैं। यह बोर्ड रखने से पहले सभी के साथ चर्चा की गई। ७ जनवरी, २००७ को अहमदाबाद में स्थानीय शासन में महिलाओं की सहभागिता और नेतृत्व के बारे में 'प्रया' की रजत जयंती के अवसर पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया (इस सम्मेलन का विवरण अन्यत्र दिया गया है)।

राजस्थान में राज्य प्रशासन के सहयोग से जोधपुर जिले में खासकर महिला सरपंचों वाली पंचायतों में जनवरी-२००७ के दौरान ग्राम सम्पर्क अभियान चलाया गया। मार्च के दौरान ग्रामसभा की २४ बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची तैयार करने का काम किया गया। लघु स्तरीय आयोजन व अकाल के बजट के उपयोग को लेकर दो दिवसीय आठ तालीमें आयोजित की गई। इसमें २२१ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता को मजबूत बनाने के बारे में अनुसंधान अध्ययन के तहत अनुसंधान करने वाली टुकड़ी के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गई। टुकड़ी ने संयुक्त रूप से अनुसंधान के संसाधन विकसित किए हैं। इस अनुसंधान के आधार पर राजस्थान में बांसवाडा, टोंक, झुंझुनूं और जोधपुर जिलों में सूचना एकत्र करना शुरू किया गया है। नागरिक समाज के अन्य संगठनों के सहयोग से विविध स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसकी रिपोर्ट अन्यत्र दी गई है।

८. शहरी शासन

अहमदाबाद में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन के बारे में नई दिल्ली के वाणी के सहयोग से एक परामर्श सभा हुई। इसमें यह प्रयास किए गए कि खासतौर पर नागरिकों व नागरिक समाज की संस्थाओं जैसे हितधारक सतत शामिल हों, इसके लिए तंत्र विकसित हो तथा शहरी विकास योजना तैयार हो और विस्तृत परियोजना की रिपोर्टें बनाई जाएं और उस बारे में समझ विकसित हो। 'प्रिया' द्वारा संकलित किए गए राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन के तहत गुजरात में चार नगर पालिकाओं के बारे में वित्तीय व्यवस्था सम्बंधी अध्ययन किया गया। छोटे व मझौले नगरों के लिए शहरी ढांचागत योजनाओं के कामकाज व समन्वित आवास तथा झोंपड़पट्टी विकास कार्यक्रम के कामकाज और सुधारों की कार्यसूची के अमल के बारे में दो कार्यशालाएं आयोजित की गई। हिम्मतनगर में आयोजित कार्यशाला में ९ नगर पालिकाओं के ३८ पार्षद और सूरत में आयोजित कार्यशाला में ९ नगर पालिकाओं के ३१ पार्षद हाजिर रहे थे।

जोधपुर में बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति बढ़ाने, राज्य की विकासलक्ष्यी संस्थाओं तथा समुदायों के बीच सम्पर्क मजबूत बनाने के लिए जनवरी-२००७ में एक सम्पर्क केन्द्र प्रतापनगर क्षेत्र में शुरू किया गया है। इस केन्द्र का उद्देश्य १.५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित २५ बस्तियों को शामिल करने का उद्देश्य रखता है। इस केन्द्र का स्थान शहर के ४ विभागों में स्थित झोंपड़पट्टियों के बारे में नक्शे तैयार करने के बाद तय किया गया। इसमें झोंपड़ेवासियों की संख्या, केन्द्र से नजदीकी और झोंपड़पट्टी में उपलब्ध बुनियादी सेवाओं की स्थिति जैसे विषयों को ध्यान में लिया गया था।

९. क्षमतावर्धन

पश्चिम राजस्थान के ११ गैर-सरकारी संगठनों के ३७ प्रतिभागियों के लिए सामाजिक विश्लेषण के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

१०. ज्ञान संसाधन केन्द्र

इस समय ज्ञान संसाधन केन्द्र में ५३२४ पुस्तकें, मिमियोग्राफ, तालीम मैन्युअल और संसाधन सामग्री हैं। इस सूचना का कम्प्यूटरीकरण किया गया और आंतरिक उपयोग के लिए वह प्राप्य है। इस केन्द्र में अन्य संस्थाओं द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों सहित १६९ पत्र-पत्रिकाएं आती हैं। केन्द्र में वे मात्र पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं।

शेष पृष्ठ 37 पर

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380 015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

खसरा नं.650, राधाक्रिष्णपुरम, लहेरिया रिसोर्ट के पास, पाल-चौपासनी बाय पास लींक रोड, जोधपुर - 343 008, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** पुष्पा शाही

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-26441967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।